न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-2, कोटा

पीठासीन अधिकारी - **सरिता धाकड़,** RJS (D.J. Cadre)
सेशन प्रकरण सं. - 353/2021
एफआईआर नं. - 100/2021
पुलिस थाना - बूढ़ादीत, जिला कोटा ग्रामीण
अपराध धारा - 302, 201, 364 व 34 भा.द.सं.
CNR NO. RJKT01-005697-2021

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
अधिवक्ता परिवादी	अपर लोक अभियोजक श्री भारत सिंह आसावत
अभियुक्त का नाम व विवरण	1. प्रहलाद सहाय पुत्र ग्यारसीलाल निवासी उदावाला, थाना मनोहरपुर, जिला-जयपुर (राजस्थान) 2. टीना उर्फ पुष्पा पुत्री शिवलाल पत्नी सुमित निवासी बोरखेड़ा, थाना बूढ़ादीत, जिला-कोटा (राजस्थान)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	1. श्री एम.एस.सिद्धीकी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त प्रहलाद सहाय 2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा
अपराध की तारीख	11-11-2020
एफआईआर की तारीख	14-05-2021
आरोप-पत्र पेश करने की तारीख	18-08-2021
माननीय सेशन न्यायालय में कमिटल तारीख	18-08-2021
इस न्यायालय को प्रकरण अन्तरित करने की तारीख	26-08-2021
आरोप लगाने की तारीख	23-09-2022
साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ व समाप्ति की तारीख	22-10-2022 प्रारंभ, 25-11-2025 समाप्ति
दिनांक, जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	19-06-2026
निर्णय दिनांक	19-06-2026

Authenticated Document

सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	19-06-2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	चार्ज	सजा अथवा बरी	सेन्टेन्स इम्पोस्ड	दौराने विचारण भुगती गई सजा
1-	प्रहलाद	14-05-21					
2-	टीना उर्फ पूजा	14-05-21					

अभियोजन साक्ष्य, बचाव पक्ष एवं न्यायालय के साक्षीगण की सूची

ए-अभियोजन साक्षीगण

रैंक/ PW क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
1-	सुमित यादव	परिवादी/एम.पी.आर. की तहरीर
2-	श्रीमती सुगना बाई	ताईद तहरीरी रिपोर्ट
3-	नरेन्द्र सिंह	पुलिस बयान की ताईद
4-	डॉ0 निर्मला कुमारी	डी.एन.ए. परीक्षण कर्ता
5-	डॉ0 भुवनेश मीणा	डी.एन.ए. परीक्षण कर्ता
6-	श्रीमती माली बाना	फर्द जब्ती/बरामदगी
7-	शेर मोहम्मद	मालखाना इन्चार्ज
8-	रामसिंह मीणा	फर्द गिरफ्तारी
9-	सुरेश चन्द	एम.पी.आर. जांच अधिकारी
10-	सतपाल	फर्द जब्ती/बरामदगी
11-	जितेन्द्र सिंह	सैम्पल एफ.एस.एल. में जमा करवाना
12-	धन्नालाल	फर्द जब्ती/बरामदगी
13-	अविनाश कुमार	अनुसंधान अधिकारी

Authenticated Document

बी-बचाव साक्षीगण

रैंक/ DW क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)

सी-न्यायालय साक्षीगण

रैंक/ CW क्रमांक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)

<u>अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष व न्यायालय के प्रदर्शों की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	1	पुलिस बयान सुगना बाई
2	2	गुमशुदगी रिपोर्ट
3-	3	तहरीरी रिपोर्ट
4-	4	प्रार्थनापत्र डी.एन.ए.
5-	5	आइडेंटीफिकेशन फार्म टीना
6-	6	एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु पत्र
7-	7	पहचान फार्म सुमित
8-	8	एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु पत्र
9-	9	फर्द गिरफ्तारी टीना
10	10	फर्द जब्ती मोबाईल व शॉल
11	11	फर्द नक्शा मौका जब्ती मोबाईल
12-	12	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
13-	13	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल

14	14 व 14 ए	मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रति
15-	15	फर्द गिरफ्तारी प्रहलाद
16	16	धारा 65 बी का प्रमाणपत्र
17	17	जांच रिपोर्ट/तहरीरी रिपोर्ट
18	18	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल
19	19	फर्द नक्शा मौका बरामदगी मोटरसाइकिल
20	20	फर्द जब्ती मोबाईल
21	21	फर्द नक्शा मौका बरामदगी मोबाईल
22	22	फर्द जब्ती जुराब
23	23	फर्द जब्ती मानव खोपड़ी
24	24	एफ.एस.एल. में माल भेजने का पत्र
25	25	अग्रेषण पत्र
26	26	एफ.एस.एल. में माल जमा कराने की रसीद
27	27	हुकुमनामा
28	28	हुकुमनामा/सुमित के पुलिस बयान
29	29	टीना के पुलिस बयान
30	30	फर्द दस्तयाबी टीना
31	31	फर्द वीडियोग्राफी
32	32 से 38	धारा 27 की सूचनाएं
33	39	प्रथम सूचना रिपोर्ट
34	40	जन्म प्रमाणपत्र नंदिनी
35	41	मोबाईल नम्बर 9358382550 की काल डिटेल प्राप्त करने हेतु तहरीर
36	42	मोबाईल नम्बर 6377028901 की काल डिटेल प्राप्त करने हेतु तहरीर
37	43	प्रहलाद के मोबाईल की सूचना
38	44	प्रहलाद के मोबाईल की काल डिटेल की सूचना का प्रमाणपत्र
39	45	रोजनामचा रपट

40	46	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
41	47	एफ.एस.एल. का फार्म-एच दिनांकित 08.01.2024
42	48	सुमित का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु पत्र
43	49	मार्क बी पैकिट का चिट माल
44	50	मार्क डी पैकिट का चिट माल
45	51	मार्क ई पैकिट का चिट माल
46	52	मार्क एफ पैकिट का चिट माल

बी-बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण

सी-न्यायालय

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण

डी-मेटेरियल ऑब्जेक्ट

1	आर्टीकल-1	सी.डी.
2	आर्टीकल-2 ता0 5	चार लिफाफे
3	आर्टीकल-6	मोबाईल
4	आर्टीकल-7	की-पैड मोबाईल
5	आर्टीकल-8	जुराब
6	आर्टीकल-9	शॉल
7	आर्टीकल-10	कपाल जैसी खेपड़ी की हडडी के दो टुकड़े

- ::निर्णय:: - **दिनांक:- 19.06.2026**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 16.12.2020 को परिवादी सुमित यादव ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 पुलिस थाना बूढादीत पर इस आशय की दर्ज करवाई कि वह ग्राम बोरखेड़ा का रहने वाला और कोटा

काम करने जाता है। दिनांक 11.11.2020 को वह कोटा काम करने चला गया था। घर पर उसकी पत्नी टीना, उसकी बच्ची उम्र करीब 4 वर्ष व उसकी मां सुगनाबाई थी। उसकी मां उसके जाने के बाद नरेगा में काम करने चली गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी टीना बिना बताए उसकी बच्ची नन्दनी को लेकर पता नहीं कहां चली गई। उसकी मां घर पर आई तो वहां पर उसकी पत्नी व बच्ची नहीं मिली। उसकी मां ने फोन करके उसे बताया कि टीना व बच्ची घर पर नहीं है। वह घर आया व तलाश किया किन्तु कोई पता नहीं चला। वे तलाश कर रहे थे, इस वजह से रिपोर्ट करवाने नहीं आए थे, काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिली। अतः गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करें..........आदि। उक्त रिपोर्ट पर गुमशुदगी की रिपोर्ट (एम.आर.पी.) प्रदर्श पी-2 पुलिस थाना बूढादीत में दर्ज की गई तथा जांच सुरेश चन्द हैड कांस्टेबल को सुपुर्द की गई।

02. उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट पर सुरेश चन्द हैड कांस्टेबल ने एक जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 दिनांक 14.05.2021 को पुलिस थाना बूढादीत पर इस आशय की पेश की कि दौराने जाँच बयान फरियादी सुमित कुमार व गवाह श्रीमती सुगना बाई के लेखबद्ध किये गये। संदिग्ध मोबाईल नम्बरो की कॉल डिटेल हेतू पत्राचार किया गया। मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल व तकनीकी तहायता से एमपीआर हाजा में गुमशुदा टीना उर्फ पुष्पा पुत्री शिवलाल पन्नी सुमित को दिनाक 13-05-2021 को समय 3.00 पी एम पर ग्राम उदावाला थाना मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण से दस्तयाब किया जाकर बयान लेखबद्ध किये गये व बयानों के वीडियोग्राफी की गई। गुमशुदा टीना उर्फ पुष्पा ने दौराने जाँच अपने बयानो में बताया कि वह मूल रूप से ग्राम कथोड़ी जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली है, उसकी शादी बोरखेडा थाना बूढादीत जिला कोटा के रहने वाले सुमित यादव से सन 2016 में हुई थी। उसके बाद वह व सुमित दोनों सुमित के घर बोरखेड़ा में रहने लग गये। उसने एक लडकी नंदिनी को दिनाक 30.5.2017 को जन्म दिया। कुछ समय बाद सुमित शराब पीने लग गया तथा उसके साथ लडाई झगड़ा भी करता था। सन 2020 में उसने फोन से जब घर पर कॉल किया था तो गलत नम्बर लग गये थे जिसने फोन उठाया था उसने अपना नाम प्रहलाद निवासी शाहपुरा का होना बताया था, जिससे उसने दो मिनट बात की और फोन काट दिया। फिर उसने एक दिन बाद उसके घर के फोन पर वापस फोन किया तभी उनकी आपस में बात हुई। उसके बाद वे आपस में रोज एक दुसरे से बात करते थे। उसने उनसे उनकी फोटो माँगी तो प्रहलाद यादव ने उसके पास फोटो भेजी व उसने भी उसके

पास उसकी फोटो भेजी। उन दोनों ने एक दूसरे को पसन्द कर लिया क्योकि वह सुमित से परेशान थी तो वह दिनांक 11-11-2020 को घरवालो को बिना बताये ही अपनी मर्जी से प्रहलाद से बात करके घर से अपनी लडकी नन्दिनी को लेकर शाहपुरा के लिये 10 बजे सुबह घर से निकल गई थी। घर से वह बस में बैठकर कोटा चली गई। कोटा से बस में बैठकर जयपुर चली गई और प्रहलाद से फोन पर बात कर दिल्ली वाली बस में बैठकर मनोहरपुर टोल टैक्स पर उतर गई। वहाँ पर उसे व उसकी लडकी नंदनी को लेने प्रहलाद जी मोटरसाईकल लेकर आ गये जिनके साथ वह उनके घर उदावाला गाँव में चली गई।

03. उक्त टीना उर्फ पुष्पा ने आगे बयानों में बताया कि करीब 15-20 दिन बाद उसने फोन करके उसके पापा को भी दूसरी शादी करने की बात बता दी थी तथा कोर्ट में शादी प्रहलाद जी यादव से करने के लिये कागजो पर साईन करने के लिये पिताजी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वह बाद में आ जाएंगे। उसके बाद वह व उसकी बच्ची नन्दिनी करीब एक महीने तक यहीं रहे। दिनांक 09-12-2020 को शाम को करीब 5 बजे उसकी लडकी नन्दिनी छत पर खेल रही थी तथा खेलते समय सीढ़ियों में गिर गई थी जिससे नन्दिनी के सिर में पीछे की तरफ चोट आई। जिसको वे दिनांक 10-12-2020 शाहपुरा में प्राईवेट हॉस्पीटल में दिखाने गये तो डाक्टर साहब ने बच्ची नन्दिनी को गम्भीर चोट होना बताया तथा कहा कि इसको जयपुर में बढ़े अस्पताल में दिखाओ। उनके पास पैसे कम होने के कारण वे नन्दिनी को दिखाने के लिये नहीं गये व घर पर वापस आ गये तथा शाम को सो गये। उसी रात्रि में समय करीब 3.00 ए.एम. पर प्रहलाद जी ने उससे कहा कि उन्होंने नन्दनी का इलाज कहीं पर करवा भी लिया तो भी ये ठीक नहीं होगी और उनके पैसे बर्बाद हो जायेंगे, इसको मार देते हैं तो उसने (स्वयं टीना ने) वहाँ पर पड़ी एक शॉल को सिमेटकर एक तकिये का रूप दे दिया और उसे उसकी लडकी नन्दनी के मुँह पर रखकर दबाया तो उसका मुँह बाहर निकल गया और वह उससे नहीं मरी। फिर प्रहलाद जी ने उससे कहा कि ये उससे नहीं मरेगी इसको वह मारता है तथा प्रहलाद जी ने शॉल को उससे लेकर नन्दिनी के मुँह पर रखकर दबाया जिससे उसकी पुत्री नन्दनी की मृत्यु हो गई। फिर वे दोनों उसे प्रहलाद जी की मोटरसाईकल से गाँव उदावाला से लेकर अलवर की तरफ चले गये और भर्तहरि के आगे माधोगढ़ की पुलिया से पहले रोड के नीचे के नाले में नन्दिनी को सुला दिया। हत्या के बाद जब उन्होंने नन्दिनी की लाश को नाले में रखा था, उस समय नन्दिनी ने सफेद कलर का स्वेटर, लाल रंग का टोपर तथा

नीचे काले रंग की ऊनी पजामी व आसमानी रंग के जुराब पहने हुये थे। उसके बाद वे उसी मोटरसाईकल से वापस गाँव उदावाला में घर पर आ गये और उन्होंने यह बात गाँव व रिश्तेदारी में किसी को नहीं बताई थी। जब उससे आस-पड़ौसियान ने नन्दिनी के बारे में पूछा था तो उन्होंने कह दिया कि उसको अपने दादा दादी के पास छोडकर आ गये। एम.पी.आर. की गुमशुदा टीना उर्फ पुष्पा पुत्री शिवलाल पत्नी सुमित यादव व प्रहलाद सहाय ने लड़की नन्दिनी पुत्री सुमित यादव की हत्या कर शव को माधोगढ़ की पुलिया से पहले रोड़ के नीचे नाले में फेंकना बताया है।

04. जाँच से मामला अपराध धारा 302, 201, 364, 34 आईपीसी का वकु में आना पाया गया है । गुमशुदा टीना उर्फ पुष्पा व प्रहलाद सहाय को नन्दिनी की मृत्यु के सबुतों से छेडछाड करने तथा फरार होने की आशंका होने से साथ लिया व रवाना होकर वापस थाना आया। जाँच रिपोर्ट कानुनी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

05. उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बूढादीत जिला कोटा में एफआईआर नंबर 100/2021 अन्तर्गत धारा 302, 364, 201 व 34 आईपीसी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान मुलजिमान प्रहलद सहाय व टीना उर्फ पुष्पा के विरूद्ध धारा 302, 364, 201 व 34 आईपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। प्रकरण सेशन ट्रायल होने के कारण कमिट कर श्रीमान् जिला एवं सेश न्यायाधीश महोदय को भिजवाया गया जहां से वास्ते विचारण अन्तरित कर इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

06. इस न्यायालय के द्वारा मुलजिमान को उक्त धारा 302, 364, 201 व 34 आईपीसी के तहत ही आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये जिस पर मुलजिमान ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा की प्रार्थना की।

07. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने हेतु उपर्युक्त भाग "ए" में वर्णित साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में भाग "अ" में वर्णित दस्तावेजों को एवं भाग "डी" मेटेरियल ऑब्जेक्ट में वर्णित आर्टीकल को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

08. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्ध किये गये जिसमें मुलजिमान ने

अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा अवसर लिए जाने के बावजूद कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

09. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित बताते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि गवाहन के कथनों में गम्भीर विरोधभास है, जिसके कारण उनके बयान माने जाने योग्य नहीं है। प्रदर्श पी-3 एम.पी.आर. जो दर्ज हुई है उसमें दोनों ही मुलजिमान के मोबाईल नम्बर का अंकन नहीं है, ऐसी स्थिति में जो कॉल डिटेल के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण को आलिप्त किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि न तो जांच अधिकारी सुरेश ने और न ही अनुसंधान अधिकारी अविनाश ने अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर का हवाला अपने बयानों में दिया है। केवल जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 में ही अभियुक्त प्रहलाद द्वारा अभियुक्ता टीना को बच्ची को मार देने की बात कहने के आधार पर प्रकरण में आलिप्त कर दिया गया है, जो कि एक पुलिस कर्मी के समक्ष की गई संस्वीकृति है, जिसे साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि डॉ0 नरेन्द्र सिंह द्वारा तैयार किया गया रेफर लेटर जिसके माध्यम से मृतका नंदिनी को उनके अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर करना बताया गया है, वह पत्रावली में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में प्रकरण की शुरूआत जिस पत्र के माध्यम से हुई है, वह ही पत्रावली में शामिल नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता टीना का यह भी तर्क रहा है कि गवाह पी.डब्लयू.-9 सुरेश जो कि एम.पी.आर. का जांच अधिकारी भी है और जिसके समक्ष मृतका की हत्या करने की स्वीकृति करना दर्शाया गया है, ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्ता टीना द्वारा हत्या करने से स्पष्ट इंकार किया है, ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, जिन्होंने मुलजिमान को हत्या करते हुए देखा हो, प्रकरण में टीना एवं प्रहलाद के पूछताछ नोट के अलावा कुछ नहीं है, किसी भी गवाह ने यह भी कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त प्रहलाद ने ही मृतका को मारा हो। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में बरामदगी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। बरामदगी के समय कोई

स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही बूढादीत थाने पर बैठकर सम्पादित की गई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त टीना की ओर से मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस भी पेश की गई है।

11. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः-

> क्या मुलजिमान ने मिलकर एक दूसरे के सामान्य आशय आशय की पूर्ति में दिनांक 10.12.2020 के बाद व 11.12.2020 को रात्रि 3 बजे ग्राम उदावाला, जिला-जयपुर ग्रामीण में प्रहलाद सहाय के मकान में नन्दिनी की हत्या करने के आशय से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कारित की गई, हत्या के अपराध की साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसकी लाश को माधोगढ़ की पुलिया से पहले रोड़ के नीचे नाले में फेंककर हत्या की साक्ष्य को छिपाया तथा उक्त दिनांक, स्थान व समय से पूर्व किसी समय मिलकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी सुमित यादव की पुत्री नंदिनी की हत्या करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण किया?
>
> 2. यदि हां, तो मुलजिमान को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

12. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में यदि पत्रावली पर पेश की गई साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू.-9 सुरेश चन्द है, जिसने अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा की गुमशुदगी की मर्ग रिपोर्ट दर्ज होने पर जांच की है तथा न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में बताया है कि वह दिनांक 16.12.2020 को थाना बूढादीत चौकी बडौद में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिनांक को फरियादी सुमित कुमार यादव ने अपनी पत्नी गुम हो जाने की रिपोर्ट पेश की थी जिस एमपीआर दर्ज कर थानाधिकारी ने अग्रिम जांच हेतु उसके सुपुर्द की थी। 5 महीने बाद उन्होंने सुमित की पत्नी टीना को दस्तियाब किया था। बयानों की उसके फोन से विडियोग्राफी की गयी थी। एमपीआर की जांच की गयी थी जांच के दौरान जो गुमशुदा के साथ बच्ची थी वह नहीं मिली तो उन्होंने पूछताछ की तो टीना ने बच्ची को मार देना बताया वे प्रहलाद को भी साथ लाए थे। बच्ची को मार देने के संबंध में उसने

तहरीर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। बयानों की वीडियोग्राफी का 65 बी का प्रमाण पत्र दर्ज करवाया था जो प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दर्ज तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है।

13. उक्त गवाह पी.डब्लयू.-9 सुरेश चन्द ने अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि उसके पास एमपीआर लिखाने सुमित और सुमित की मां आए थे। एमपीआर की रिपोर्ट लिखित में दी थी। उसने उस एमपीआर रिपोर्ट को पढा था जिसमें सुमित द्वारा अपनी पत्नी टीना उर्फ पुष्पा तथा एक बच्ची जिसका नाम उसे आज याद नहीं है का गुम होना बताया था। उसने टीना उर्फ पुष्पा को उदावाला गांव से दस्तियाब किया था। दस्तियाब करने के बाद उन्होंने टीना से बच्ची के बारे में पूछताछ की तो उसने बच्ची का छत से गिरना, उसके सिर में चोट आना, इलाज करवाना परन्तु डॉक्टर का मना करना कि जयपुर बडे अस्पताल में दिखाओ, उसके पति प्रहलाद सहाय का कहना कि उनके पास पैसे नहीं है इस बच्ची को मार देते हैं जिस पर रात को 3 बजे करीब तकिया से बच्ची का मुंह दबाना किन्तु नहीं मरने पर प्रहलाद द्वारा मारना बताया। जिस समय टीना यह सब उसे बता रही थी उस समय प्रहलाद सहाय वहां मौजूद नहीं था। टीना ने उक्त बयान प्रहलाद सहाय के पीछे से बताया। जांच रिपोर्ट में उसने टीना के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया था। वह प्रहलाद सहाय को नहीं जानता।

14 उक्त् गवाह पी.डब्ल्यू.-9 सुरेश चन्द ने अधिवक्ता अभियुक्ता टीना की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि उदावाला वह, सतपाल, महिला कांस्टेबल मालीबाना प्राइवेट वाहन चालक गए थे। उसने थाने से रवाना होने की रवानगी रपट डाली थी। उक्त रवानगी रपट पत्रावली में शामिल नहीं है। यह बात सही है कि टीना ने बच्ची को नहीं मारा था बच्ची को प्रहलाद सहाय ने ही मारा था। टीना के बयान उसकी उपस्थिति में महिला कांस्टेबल मालीबाना के द्वारा लेखबद्ध किए थे। उसके द्वारा टीना को लाने की आमद रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नहीं है। यह बात सही है कि टीना के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया। यह सही है कि टीना द्वारा बच्ची के साथ मारने संबंधी कोई घटना कारित नहीं की गयी थी। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा को दस्तयाब करने के सम्बंध में जांच अधिकारी है, के द्वारा अपने बयानों में स्वयं के द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की पुष्टि होती है तथा उक्त गवाह ने यह भी स्पष्ट

किया है कि अभियुक्ता टीना को उसने दस्तयाब किया था, जिसके द्वारा महिला कांस्टेबल मालीबाना की उपस्थिति में बयान दिए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी करवाई गई, जिस बाबत धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-16 है और उसके पश्चात ही उसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 दर्ज करवाई गई है।

15. प्रकरण में एम.पी.आर. की जांच करने वाले सुरेश चन्द द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 दर्ज करवाई गई है जिस पर अविनाश कुमार ने अनुसंधान किया है तथा न्यायालय के समक्ष गवाह पी.डब्ल्यू.-13 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.13 अविनाश कुमार ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.05.2021 को थाना बूढादीत पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था उस दिन श्री सुरेश चंद हैड कांस्टेबल ने एमपीआर नं. 20/2020 में एक जांच रिपोर्ट बनाकर उसके समक्ष पेश की थी जो प्रदर्श पी 17 है, जिस पर मुकदमा नं. 100/2021 धारा 302, 201, 364, 34 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान उसके स्वयं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जांच रिपोर्ट के साथ ही एमपीआर के दस्तावेजात संलग्न किए थे जिसमें प्रदर्श पी 3 सुमित यादव द्वारा अपनी पत्नी टीना व उसकी बच्ची नंदनी की गुमशुदगी की तहरीरी रिपोर्ट थाना बूढादीत में पेश की गयी थी। चाक एमपीआर प्रदर्श पी 2 है। बयान सुगना बाई प्रदर्श पी 1 है। सुमित के बयान व टीना के बयान व दस्तयाबी टीना क्रमशः प्रदर्श पी 28, 29 तथा 30 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। वीडियोग्राफी गुमशुदा टीना के बयान की गयी थी जो प्रदर्श पी 31 है सीडी आर्टिकल 1 है। दिनांक 14.05.2021 को ही बाद पूछताछ व अनुसंधान के प्रकरण में वांछित मुल्जिम टीना व प्रहलाद को श्रीमती मालीबाना व सतपाल के समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 व पी-15 गिरफ्तार किया था।

16. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि गिरफ्तारशुदा मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने दिनांक 15.05.2021 को समय 8:30 एएम पर उसे स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी 32 दी कि उसने व टीना उर्फ पुष्पा ने लड़की नंदनी को ग्राम उदावला में उसके घर पर जिस स्थान पर मारा था, उस स्थान को चलकर बता सकता है, उसी दिन समय 09.00 बजे गिरफ्तारशुदा मुल्जिमा टीना उर्फ पुष्पा ने स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी-33 दी कि उसने वह प्रहलाद ने उसकी बेटी नंदनी को ग्राम उदावाला में जिस स्थान पर मारा था उस स्थान को चलकर बता सकती है, उसी दिन 07.30 पी.एम. पर

गिरफ्तारशुदा मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने उसे स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी-34 दी कि उसने व टीना उर्फ पुष्पा जिस मोटरसाईकिल से नंदनी की लाश को जंगल में पटककर आए थे उस मोटरसाईकिल को उसे मकान के अंदर खडी कर रखी है, उसी दिन समय 7:40 पीएम पर गिरफ्तारशुदा मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने उसे स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी-35 दी कि वह, टीना उर्फ पुष्पा से जिस मोबाईल से बात करता था उसे उसने उसके मकान में रख रखा है उसे चलकर वह बता सकता है, उसी दिन समय 7:50 पीएम पर गिरफ्तारशुदा मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी-36 दी कि उसने व टीना उर्फ पुष्पा ने नंदनी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को अलवर भर्तृहरी से आगे जंगल में रोड के नाले में जिस स्थान पर पटक कर आए थे उस स्थान को चलकर बता सकता है, उसी दिन समय 8:10 पीएम पर गिरफ्तारशुदा मुल्जिमा टीना उर्फ पुष्पा ने सूचना प्रदर्श पी-37 दी कि उसने व प्रहलाद ने जिस शॉल से नंदनी की हत्या की थी व उस शॉल को वह नंदनी को डालने जाते समय लेकर गयी थी और वापस लेकर आई थी जिसे उसे घर में रखा हुआ है तथा उसका मोबाईल भी घर में रखा है जिसे चलकर बता सकती है। उसी दिन समय 8:30 पीएम पर गिरफ्तारशुदा मुल्ज्मि टीना उर्फ पुष्पा ने स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी-38 दी कि उसने व प्रहलाद ने नंदनी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को अलवर भर्तृहरी से आगे जंगल में रोड के नाले में जिस स्थान पर पटक कर आए थे उस स्थान को चलकर बता सकती है।

17. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि मुल्जिम प्रहलाद सहाय व टीना की दी गयी धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 32 व प्रदर्श पी 33 के अनुसरण में मुल्जिम प्रहलाद के गांव उदावला थाना मनोहरपुर पहुंचे जहां पर उसके घर के कमरे में जहां पर उसने नंदनी को चारपाई पर मारना बताया था उस स्थान का तस्दीक घटना स्थल मुल्जिम प्रहलाद व टीना ने सतपाल व मालीबाना के सामने बनवाया था जो प्रदर्श पी 12 है, गिरफ्तारशुदा मुल्जिम प्रहलाद व टीना ने नंदनी की लाश को अलवर भर्तृहरी के जंगल में जिस स्थान पर पटका था उस स्थान की तस्दीक करने बाबत जो धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 36 व प्रदर्श पी 38 दी थी उसके अनुसरण में जाप्ते के साथ मुल्जिमान को लेकर जयपुर अलवर रोड माधोगढ की पुलिया के पास जंगल में पहुंचा था जहां पर मुल्जिमान ने उतर कर आगे आगे चलकर वह स्थान बताया था जहां पर नंदनी की लाश को मुल्जिमान के द्वारा पटका गया था तथा

उसी स्थान से एक जुराब और उस स्थान से लगभग 30 मीटर की दूरी पर मानव कपाल जैसी हड्डी बरामद की गयी थी उस स्थान की तस्दीक मुल्जिमान ने सतपाल व मालीबाना के सामने की थी जिसका उसने तस्दीक घटना स्थल बनाया था जो प्रदर्श पी 13 है, फर्द जब्ती बरामदगी एक जुराब प्रदर्श पी 22 है। घटना स्थल से एक मानव खोपडी जैसी कपाल हड्डी सतपाल व मालीबाना के सामने जब्त कर एक कार्टून में रखकर तथा कार्टून को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर की गयी थी तथा मार्क एफ दिया गया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 23 है।

18. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने सूचना दी थी कि उसने जिस मोटरसाईकिल का प्रयोग उक्त घटना में किया था वह मोटरसाईकिल वह बरामद करा सकता है। उक्त सूचना प्रदर्श पी 34 के अनुसरण में वह जाब्ता के साथ मुल्जिम को लेकर उसके रिहायशी मकान गांव उदावला थाना मनोहरपुर पहुंचे जहां पर मुल्जिम ने जाप्ते के आगे आगे चलकर अपने मकान में प्रवेश कर चौक में से एक मोटरसाईकिल को उसके समक्ष पेश किया था जिसको उसने सतपाल व धन्नालाल के सामने जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 18 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 19 है। मुल्जिम प्रहलाद ने सूचना दी थी कि वह जिस मोबाईल से टीना उर्फ पुष्पा से बात करता था उसे उसने मकान में रख रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। उक्त सूचना प्रदर्श पी 37 के अनुसरण में वह मुलिजम को लेकर मय जाप्ते के उसके रिहायशी मकान पर पहुंचा जहां पर उसने अपने मकान की रसोई के पास वाले कमरे की अलमारी से उठाकर एक मोबाईल उसके सामने पेश किया जिसे उसने बतौर वजह सबूत होने से जब्त कर सील मोहर कर मार्क बी दिया, उक्त मोबाईल रियलमी कंपनी का था जिसमें एयरटेल की सिम लगी थी तथा काले रंग का कवर लगा था जिसकी फर्द जब्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी 20 तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 21 है।

19. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि मुल्जिम टीना उर्फ पुष्पा ने उसे स्वेच्छा से सूचना दी कि उसने व प्रहलाद सहाय ने जिस शॉल से नंदनी को मारा था उसे वह नंदनी की लाश को डालने गयी थी तब साथ लेकर गयी थी तथा वापस लेकर आई थी उसे उसने मकान में रख रखा है तथा एक मोबाईल भी उसने उसी मकान में रख रखा है वह चलकर उन्हें बरामद करा सकती है, उक्त सूचना प्रदर्श पी 37 के अनुसरण में वे मुल्जिम

के बताए स्थान पर पहुंचे जहां पर मुल्जिम ने जाप्ते के आगे आगे चलकर मकान में प्रवेश कर मकान के एक कमरे की अलमारी से एक शॉल तथा दूसरे कमरे की अलमारी में रखे फोटो के पीछे से एक मोबाईल आईटेल कंपनी का कीपैड वाला निकाल कर पेश किया जिन्हें बतौर वजह सबूत उसके द्वारा जब्त कर सील मोहर कर मार्क सी व मार्क डी दिया गया जिनकी फर्द जब्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी 10 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 11 है। धन्नालाल को स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु उसके द्वारा हुक्मनामा दिया गया था जो प्रदर्श पी 27 तथा प्रदर्श पी 28 है। जब्तशुदा माल को उसके द्वारा मालखाना में जमा किया गया था मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 14ए है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 39 है। अनुसंधान में उसने सुमित कुमार, नरेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, शेर मोहम्मद, के बयान उनके कथनानुसार दर्ज किए थे। नंदनी का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था जो प्रदर्श पी 40 है, मृतका नंदनी घायल हो जाने के बाद उसके इलाज करवाने हेतु विराट अस्पताल का उपस्थिति रजिस्टर डॉक्टर नरेन्द्र ने पेश किया था जो शामिल पत्रावली है।

20. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 19.05.2021 को उसके द्वारा एमओ सीएचसी बूढादीत को मुल्जिम टीना उर्फ पुष्पा का डीएनए प्रोफाइल मिलान के लिए सेम्पल लेने की तहरीर दी थी जो प्रदर्श पी 4 है, टीना उर्फ पुष्पा का डीएनए एक्जामिनेशन फॉर्म प्रदर्श पी 5 है, सरकारी अस्पताल बूढादीत का फॉर्म प्रदर्श पी 6 है, फरियादी सुमित यादव का डीएनए एक्जामिनेशन फॉर्म प्रदर्श पी 7 है, सरकारी अस्पताल बूढादीत का फॉर्म प्रदर्श पी 8 है, उसके द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पुलिस अधीक्षक कोटा को मोबाईल नं. 9358382550 व मोबाईल नं. 6377028901 की कॉल डिटेल चाहने बाबत् तहरीर दी गयी थी जो प्रदर्श पी 41 तथा प्रदर्श पी 42 है, कॉल डिटेल व सीएएफ फॉर्म एयरटेल कंपनी का शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 43 है जिसमें कुल 23 किताएं हैं। एयरटेल कंपनी के नोडल ऑफिसर का 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 44 है। नकल रोजनामचा रपट सं. 128 प्रदर्श पी 45 है। रोजनामचा रपट शामिल पत्रावली है। उसके द्वारा माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कोटा को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो प्रदर्श पी 24 है, पुलिस अधीक्षक कोटा का अग्रेषण पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक कोटा को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी मालवाहक के हस्ताक्षर हैं। पुलिस अधीक्षक कोटा का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 25

है। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 26 है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 46 है। एफएसएल का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 47 है। दिनांक 24.05.2021 का एमओ सीएचसी बूढादीत को उसके द्वारा सुमित यादव का डीएनए परीक्षण कराने के लिए सेम्पल लेने की तहरीर दी गयी थी जो प्रदर्श पी 48 है।

21. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने आगे सशपथ साक्ष्य दी है कि न्यायालय के समक्ष कुल 5 सीलशुदा अवस्था में माल तथा 4 लिफाफे पेश हुए जिन्हें बाद न्यायालय के आदेश के खोला गया। चार लिफाफे आर्टिकल 2 लगायत आर्टिकल 5 है जिनमें मुल्जिम टीना व फरियादी सुमित यादव के डीएनए परीक्षण के सेम्पल थे जो बाद जांच वापस आए हैं। मार्क बी पैकेट का चिट माल प्रदर्श पी 49 है, उक्त पैकेट को खोला गया तो उसमें से एक काले कवर में मोबाईल निकला जो आर्टिकल 6 है। एक चिट माल मार्क सी है जो कि फटा हुआ है जिसके पैकेट से एक शॉल निकला जो आर्टिकल 9 है। मार्क डी चिट माल प्रदर्श पी 50 है, उक्त पैकेट से एक कीपैड मोबाईल निकला जो आर्टिकल 7 है। मार्क ई पैकेट चिट माल प्रदर्श पी 51 है, उक्त पैकेट से एक जुराब निकला जो आर्टिकल 8 है। मार्क एफ पैकेट चिट माल प्रदर्श पी 52 है, उक्त पैकेट में से एक कार्टून निकला जिसके अंदर से कपाल जैसी खोपडी की हड्डी के दो टुकडे निकले जो आर्टिकल 10 है। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिमान प्रहलाद सहाय व टीना के विरूद्ध अपराध धारा 302, 201, 364, 34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित होने पर चार्जशीट उसके द्वारा तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश की गयी थी।

22. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 अविनाश कुमार ने अभियुक्ता टीना की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी-3 में टीना और सुमित के मोबाईल नम्बर का अंकन नहीं है एवं एमपीआर प्रदर्श पी 3 पर सुमित के बयान किस तारीख को किसने लिए इसकी उसे जानकारी नहीं है जिसने एमपीआर जी जांच की होगी उसने लिए होंगे। उसके पास जांच दिनांक 14.05.2021 को आई थी। उसके द्वारा सुमित, डॉक्टर नरेन्द्र राव के बयान लिए गए थे। यह आज उसे याद नहीं है कि उसने सुमित के बयान किस तारीख को लिए थे। <u>उसके द्वारा डॉ0 नरेन्द्र राय के बयान दिनांक 16.05.2021 को लिए गए थे, वह डॉ नरेन्द्र के बयान लेने शाहपुरा के एक अस्पताल में गया था जिसका नाम आज उसे याद नहीं है।</u> यह सही है कि बयान 161 सीआरपीसी डॉ. नरेन्द्र राव के में दिनांक पर ओवर राइटिंग हो रखी है। वह स्पष्ट नहीं बता सकता है कि उक्त बयानों जो दिनांक पर ओवरराइटिंग हो रही है उसमें 10.05.2020 को

10.12.2020 बनाया गया है या नहीं। यह कहना गलत है कि डॉ0 नरेन्द्र राव के बयान उसने मुल्जिमा टीना की गिरफ्तारी से पूर्व लिए हों। यह सही है कि टीना को दिनाक 13.05.2021 को दस्तियाब किया गया था तथा उसके एक दिन बाद दिनांक 14.05.2021 को एफआईआर दर्ज की गयी थी। प्रदर्श पी-42 में वर्णित मोबाईल नंबर जिनको ट्रेस करने बाबत् उसके द्वारा दिनांक 16.01.2021 को एसपी को लेटर दिया गया था वह फरियादी के द्वारा मौखिक रूप से बताए गए थे। वह गांव उदावाला दिनांक 16.05.2021 को गया था। उनके दिनांक 16.05.2021 को उदावाला गांव जाने की रवानगी रपट पत्रावली में शामिल नहीं है। वे सीधे ही प्रहलाद सहाय के घर पहुंचे थे।

23. उक्त गवाह ने आगे जिरह में यह भी कथन किया है कि यह सही है कि धारा 27 की सूचना मुल्जिमान ने उसे थाना बूढादीत पर दे दी थीं। मुल्जिमान से लगभग 7-8 बार धारा 27 की सूचना ली गयी थी। मुल्ज्मान से धारा 27 की सूचना दिनांक 15.05.2021 को ली गयी थी। मुल्जिमान से धारा 27 की सूचना अलग अलग समय पर ली गयी थी। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक मुल्जिम से एक बार में एक ही सूचना ली जा सकती है। यह उसे याद नहीं है कि एक मुल्जिम से एक दिन में कितनी बार सूचना ली जा सकती है। प्रहलाद सहाय से करीब 4 बार तथा टीना से करीब 3 बार धारा 27 की सूचना उसके द्वारा ली गयी थी। यह सही है कि समस्त धारा 27 की सूचना उसके द्वारा एक ही दिन में ली गयी थी। यह सहीं है कि उक्त सूचनाओं के मिलने के बाद ही वे उदावाला गाव गए थे। यह आज उसे याद नहीं है कि जब्तशुदा मोटरसाईकिल को थाने पर कौन लाया था या उसे किसी अन्य वाहन की मदद से थाने लाया गया था। यह उसे आज याद नहीं है कि उसने टीना का मोबाईल कितने बजे जब्त किया था। टीना से शॉल उसके द्वारा दिनांक 16.05.2021 को सुबह के वक्त जब्त की गयी थी किंतु उसे निश्चित समय आज याद नहीं है। प्रहलाद सहाय से भी उसके द्वारा मोबाईल दिनांक 16.05.2021 को सुबह के समय जब्त किया गया था किंतु उसे उसका निश्चित समय आज याद नहीं है। वे भर्तृहरि के जंगल में दिनांक 17.05.2021 को गए थे। दिनाक 16.05.2021 को रात्रि में वे कहां रूके थे यह आज उसे याद नहीं है। मुल्जिमान को उसके साथ सुरक्षित कस्टडी में रखा था किंतु उसे आज याद नहीं है कि किस स्थान पर मुल्जिमान को रखा था। यह सही है कि वे दिनांक 16.05.2021 को रोड पर नहीं रुके थे। यह उसे याद नहीं है कि

वे किसी धर्मशाला या होटल या किसी थाने में रूके थे। यह सही है कि वे जिस जगह पर रुके थे उस जगह का कोई प्रमाण आज उसके पास नहीं है।

24. उक्त गवाह का आगे जिरह में यह भी कथन है कि वे दिनांक 17.05.2021 को दोपहर 1.30-2 बजे के लगभग भर्तृहरि के जंगलों में पहुंचे थे। उन्हें जुराब घटना स्थल पर मिला था जहां पर मृतका बालिका को पटका था। यह सही है कि उक्त जुराब उसके द्वारा घटना स्थल पर ही जब्त किया गया था। उसके द्वारा उक्त जुराब शाम को 4 बजे के लगभग जब्त किया गया था तथा वहीं पर जब्ती बनाई थी और उसे उसकी सील से ही सील मोहर किया था। उक्त जुराब को मुल्जिमान की निशादेही से ही जब्त किया गया था। यह कहना गलत है कि टीना से धारा 27 की सूचना में जुराब का रंग काला बताया हो बल्कि जुराब मौके पर मिला था जिसे टीना के द्वारा बताया गया था किं यह जुराब नंदनी का है। मृतका नंदनी की खोपडी जगल में से घटना स्थल के पास से बरामद की थी। जंगल में उन्हें मृतका की खोपडी के अलावा शरीर के किसी अन्य अंग का कोई हिस्सा नहीं मिला था। खोपडी के उक्त हिस्से को उन्होंने 3 बजे के लगभग घटना स्थल पर ही जब्त किया था। यह सही है कि उन्होंने पहले खोपडी जब्त की थी तथा बाद में जुराब जब्त किया था। भर्तृहरि के जंगलों में कार्यवाही में उन्हें लगभग 4 घंटे का समय लगा था। वे थाने पर वापस शाम के समय दिनांक 18.05.2021 को आए थे। दिनाक 18.05.2021 को उन्होंने वापसी रपट रोजनामचे में डाली थी किंतु उक्त रपट शामिल पत्रावली नहीं है। 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 44 में एयरटेल कपनी के नोडल अधिकारी के नाम का अंकन नहीं है। भर्तृहरि के जगलों में स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए हुक्मनामा कार्यवाही प्रारम होने से पूर्व लगभग दोपहर 2 बजे से पहले दिया था। गाव वाला हुक्मनामा उसके द्वारा कार्यवाही से पूर्व दिया था। गांव में कार्यवाही उसके द्वारा सुबह 8:30 बजे प्रारंभ की गयी थी। उसने गुल्जिमान की गिरफतारी से पूर्व पूछताछ नोट बनाकर था किन्तु उक्त पूछताछ नोट पत्रावली में शामिल नहीं है।

25. उक्त गवाह का आगे जिरह में यह भी कथन रहा है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 17 उसके हेड कांस्टेबल सुरेश के द्वारा पेश की गयी थी। प्रदर्श पी 17 के सी से डी भाग में टीना द्वारा कही गयी बात कि- "नंदनी मेरे से नहीं मरी अंकित है।" यह सही है कि प्रदर्श पी 17 के ई से एफ भाग में प्रहलाद सहाय द्वारा नदनी को मारने वाली बात अंकित है। यह सही है कि प्रदर्श पी 17 उसके अधीनस्थ कर्मचारी ने ही पेश की है तथा उसके द्वारा ही प्रदर्श पी-17 अंकित की

गयी है तथा प्रदर्श पी 17 उसने पूछताछ के बाद ही बनाई है। यह सही है कि प्रदर्श पी 17 के वर्णन के अनुसार यह सही है कि नंदनी की हत्या प्रहलाद सहाय के द्वारा मुंह दबाकर की गयी थी।

26. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-13 अविनाश कुमार ने अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद सहाय द्वारा की गई जिरह में यह कथन किए हैं कि उसे उदावाला जाने की सूचना सबसे पहले मुल्जिम प्रहलाद सहाय ने दी थी। वे सीधे ही उदावाला में कार्यवाही करके वापस आ गए थे, उसके द्वारा किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी नहीं ली गयी थी। भर्तृहरि के जंगलों में कार्यवाही के लिए जाते समय उसके द्वारा पुलिस चौकी के अलावा किसी अन्य सरकारी विभाग से जानकारी नहीं ली गयी थी। मुल्जिम प्रहलाद सहाय के द्वारा उसे उदावाला गांव के बारे में सूचना पुलिस थाना बूढादीत में ही दी थी। उदावाला में उसने एक मोटरसाईकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक शॉल, दो मोबाईल, जब्त किए थे। मोटरसाईकिल मुलजिम प्रहलाद सहाय के उदावाला स्थित रोड के पास के उसके रिहायशी मकान के चौक से जब्त की थी। शॉल को प्रहलाद सहाय के मकान की अलमारी में रखी थी जिसे निकाल कर एक मुलजिम के द्वारा पेशा किया गया था। दोनों मोबाईल अलग अलग कमरों की अलग अलग अलमारी में से निकाल कर पेश किए गए थे। इन सबको जब्त करने में उन्हें लगभग 5 घंटे का समय लगा था। भर्तहरि के जंगल में घटना स्थल पर पहुंच कर उसने नक्शा मौका बनाया था। यह सही है कि घटना स्थल से थोड़ी दूर खोपडी मिली थी जो कि लगभग 30 मीटर दूर मिली थी। खोपड़ी के अलावा उन्हें शरीर के कोई अंग नहीं मिले थे। जिस जगह पर उन्हें खोपडी मिली उसके आस पास 1-2 किलोमीटर के अंदर के इलाके में उन्होंने छानबीन की थी किंतु उन्होंने वहां खोदकर छानबीन नहीं की थी। जिस जगह का नक्शा उसके द्वारा बनाया गया था वहीं पर उन्हें नंदनी का जुराब मिला था। वह आज नहीं बता सकता कि वे बूढादीत थाने से कितने बजे रखाना हुए थे। उसे आज याद नहीं है कि वे वापस बूढादीत थाने कितने बजे आए थे। वे दिनांक 15.05.2021 को उदावाला गए थे।

27. इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-13 अविनाश कुमार जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण साक्षी है, के द्वारा सिलसिलेवार घटना का ब्यौरा प्रस्तुत किया है और अभियुक्तगण से प्राप्त धारा 27 की सूचनाओं के आधार पर उनकी निशादेही से पहले गांव उदावाला स्थित अभियुक्त प्रहलाद के मकान से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, शॉल व दो मोबाईल की जब्ती तथा फिर

जहां नंदनी के मृतक शरीर को पटका गया अर्थात भर्तहरी के जंगलो से जुराब व नंदनी की लाश की खोपड़ी की जब्ती की कार्यवाही को पुष्ट करता है। उक्त गवाह के द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही की पुष्टि जाब्ता के अन्य सदस्यगण पी.डब्ल्यू.-10 सतपाल, पी.डब्ल्यू.-6 श्रीमती मालीबाना व पी.डब्ल्यू.-12 धन्नालाल द्वारा भी गई है, जिनकी साक्ष्य की विवेचना आगे की जा रही है।

28. जाब्ता के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू.10 सतपाल ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.05.2021 को थाना बूढादीत में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसके समक्ष मुल्जिमा टीना उर्फ पुष्पा व मुल्जिम प्रहलाद सहाय को प्रकरण में थाने से ही गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारी टीना उर्फ पुष्पा की प्रदर्श पी 9 व प्रहलाद सहाय प्रदर्श पी 15 है। दिनांक 16.05.2021 को मुल्जिम टीना की सूचना पर उसके बताए स्थान मुल्जिम प्रहलाद के मकान उदावाला के कमरे की एक अलमारी से एक मोबाईल व एक शॉल निकाल कर पेश करने पर उसके समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी-10 जब्त किए थे तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका उसके समक्ष प्रदर्श पी-11 बनाया था। फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी-12 उसके समक्ष बनाया था। फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स प्रहलाद सहाय की सूचना पर जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 18 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 19 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम प्रहलाद सहाय की सूचना पर उसके बताए स्थान उसके रिहायशी मकान के रूम की अलमारी से निकाल कर उसके द्वारा पेश करने पर एक टच स्क्रीन मोबाईल जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 20 है। उसके अगले दिन दिनांक 17.05.2021 को मुल्जिम टीना उर्फ पुष्पा व प्रहलाद सहाय की सूचना पर अनुसंधान अधिकारी श्री अविनाश कुमार उपनिरीक्षक द्वारा मुल्जिमान द्वारा मृतका नंदनी की लाश को जिस स्थान पर फेंका था उस स्थान की तस्दीक की थी जिसकी तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 है। तस्दीक के दौरान मृतका नन्दनी का एक जुराब की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-22 है, वहीं से एक मानव खोपडी कपाल की हड्डी को जरिये फर्द प्रदर्श पी-23 जब्त कर सील मोहर किया था।

29. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-10 सतपाल ने अभियुक्त प्रहलाद की ओर से जिरह किए जाने पर कथन किया है कि थानेदार साहब ने मुलजिम को उसके समक्ष थाने पर गिरफ्तार किया था। <u>मुल्जिम प्रहलाद सहाय से जब्त मोटरसाईकिल, एक मोबाईल रियलमी कम्पनी व घटना स्थल माधोगढ़ की पुलिया</u>

की तस्दीक के दौरान जब्त जुराब, व मानव कपाल जैसी खोपड़ी पर उसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है जो थानेदार ने उसके समक्ष जब्त किए थे जिन पर उसने थानेदार के कहे अनुसार हस्ताक्षर किए थे। उक्त जब्तशुदा सामान प्रहलाद सहाय के है या नहीं है इसकी उसकी जानकारी नहीं है, प्रहलाद सहाय की सूचना पर ही ये सामान जब्त किए थे। अधिवक्ता अभियुक्ता टीना की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि दिनांक 14.05.2021 को टीना को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था। टीना की सूचना पर थानेदार जी अविनाश कुमार के साथ वे दिनांक 16.05.2021 को ग्राम उदावाला गए थे। वे प्राइवेट वाहन से उदावाला गए थे। प्राइवेट वाहन के नम्बर उसे याद नहीं है। यह सही है कि जब वे थाने से अनुसंधान हेतु जाते है तो उसकी रोजनामचे में रपट डाली जाती है। रोजनामचा रपट अनुसघान हेतु रवानगी शामिल पत्रावली नहीं है। टीना से जो शॉल जब्त की थी, वह सुबह 10.30 बजे की थी, टीना से एक मोाबईल भी उसी दिन जब्त किया था। मोबाईल की फर्द जब्ती, शॉल की फर्द जब्ती के साथ ही बनाई थी। टीना से जब्त मोबाईल काले रंग का था। यह सही है कि टीना ने उसके समक्ष कोई धारा 27 की सूचना नहीं दी थी। तस्दीक मोबाईल व शॉल बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 है। यह सही है कि वे दिनांक 16.05.2021 को उदावाला रूके थे। 16.05.2021 को वे वापस थाने पर नहीं आए थे और सरिस्का चले गए थे। जयपुर से सरिस्का की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। यह सही है कि हम सरिस्का 10-10:30 बजे पहुंच गए थे। सरिस्का में जो नाला दर्शाया है वह खाली था। उक्त नाले पर हम करीब 10-10:30 बजे पहुंच गए थे। उक्त नाले पर उन्होंने एक जुराब व एक खोपड़ी बरामद की थी। खोपड़ी और जुराब की फर्द जब्ती बनाने में करीब एक घंटा लगा था। यह उसे पता नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद खोपडी बरामद की थी। यह सही है कि खोपडी और मौजे की एक ही प्रदर्श बनाई थी तथा उनको अलग अलग सील पैक किया था फिर कहा कि प्रदर्श कुल 2 है एक नहीं है। आईओ ने खोपडी पर एफ मार्क डाला था और जुराब पर ई मार्क डाला था। रपट वापसी आईओ द्वारा दिनांक 17.05.2021 को डाली हो तो उसे पता नहीं है। वापसी रपट शामिल पत्रावली नहीं है। मुकदमा 14.05.2021 को दर्ज हुआ था।

30. जाब्ता के सदस्य गवाह पी.डबल्यू-6 श्रीमती मालीबाना ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.05.2021 को थाना बूढादीत में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन थानाधिकारी अविनाश कुमार उपनिरीक्षक साहब ने

उसके समक्ष प्रकरण संख्या 100/2021 में मुल्जिम टीना उर्फ पुष्पा को जरिये फर्द प्रदर्श पी-9 गिरफ्तार किया था। इसी प्रकरण में टीना की निशानदेही से दिनांक 16.05.2021 को प्रहलाद सहाय के मकान की एक अलमारी से टीना द्वारा पेश करने पर एक कीपैड मोबाईल आईटेल कंपनी का तथा एक शॉल जरिये फर्द प्रदर्श पी-10 जब्त की थी। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 है। फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटना स्थल जहां बालिका नंदनी को मारा था प्रदर्श पी 12 है। दिनांक 17.05.2021 को बनाया गया फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटना स्थल जहां पर बालिका नंदनी की कपाल खोपडी की हड्डी मिली थी प्रदर्श पी 13 है। उक्त फर्दों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त गवाह का अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद की ओर से की गई जिरह में कथन रहा है कि वह प्रहलाद को नहीं जानती है और न ही उसने प्रहलाद को गिरफ्तार किया।

31. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-6 श्रीमती मालीबाना ने अभियुक्त टीना की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि टीना को थाने से गिरफ्तार किया गया था। यह उसे याद याद नहीं है कि टीना स्वयं चल कर थाने पर आई थी। टीना को सायं को 04.50 बजे बजे दिनांक 14.05.2021 को गिरफ्तार किया गया था, उसने ही टीना की तलाशी ली थी तथा उसे तलाशी में टीना के पास कुछ भी नहीं मिला था। उसे पता नहीं है कि टीना ने धारा 27 की सूचना कब दी थी। उसे यह नहीं पता कि टीना ने धारा 27 की सूचना कितनी बार दी थी। <u>जो मोबाईल और शॉल जब्त किया था वह प्रहलाद सहाय के मकान से जब्त किया था।</u> मोबाईल प्रहलाद सहाय के मकान के कमरे से जब्त किया गया था। प्रहलाद सहाय का मकान उदावाला में है। यह कहना सही है कि प्रहलाद सहाय के मकान के आसपास और भी मकान बने हुए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 दिनांक 16.05.2021 को बनाया गया था। जब नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 बनाया गया तब वहां पर वह, सतपाल कांस्टेबल, आईओ अविनाश, अभियुक्ता टीना उर्फ पुष्पा तथा अभियुक्त प्रहलाद सहाय थे। यह उसे याद नहीं है कि वे उदावाला ट्रेन से या बस से या पर्सनल वाहन से गए थे अज खुद कहा कि वे उदावाला प्राईवेट साधन से गए थे। वे जयपुर दिन में पहुंचे थे, कितने बजे पहुंचे उसे आज याद नहीं है तथा वे जयपुर रात में नहीं पहुंचे थे। वे उदावाला सुबह लगभग 10 बजे पहुंचे थे। उसे याद नहीं है कि वे प्रहलाद सहाय के घर कितने बजे पहुंचे थे। तस्दीक नक्शा मौका 12:20 बजे बनाया गया था। उसे याद नहीं है कि वे जयपुर कितने दिन रूके या वे शाम को वापस लौटकर आ गए थे। तस्दीक नक्शा मौका दिनांक

16.05.2021 को बनाया गया था। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 दिनांक 17.05.2021 की दोपहर लगभग 2 बजे बनाया गया था। यह कहना सही है कि वे दिनांक 16.05.2021 को जयपुर पहुंचे थे और प्रदर्श पी 13 उन्होंने दिनांक 17.05.2021 को बनाया था। यह कहना सही है कि प्रहलाद सहाय ने धारा 27 की सूचना में नंदनी का शव नाले में फैंकना बताया। यह कहना सही है कि नाले में से केवल जुराब मिला था तथा 30 मीटर की दूरी पर जंगल में नंदनी की खोपडी मिली थी। खोपडी पर सर पर बाल नहीं थी। उसे याद नहीं है कि वे बूढादीत से जयपुर के लिए कितने बजे निकले थे। उसे याद नहीं है कि वे 16.05.2021 की रात को जयपुर रहे या अलवर रहे। उसे यह भी याद नहीं है कि वे पुलिस लाईन में रहे या होटल में रहे या किसी क्वार्टर में रहे। उदावाला से वे 17.05.2021 को रवाना हुए थे। वे उदावाला से कितने बजे रवाना हुए थे यह आईओ बताएंगे। वे बूढादीत कितने बजे पहुंचे यह वह बता नही सकती है।

32. जाब्ता के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू.12 धन्नालाल ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 16.05.2021 को थाना बूढादीत पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था उस दिन वह, सतपाल, थानेदार जी मुल्जिम प्रहलाद सहाय व टीना तथा एक महिला कांस्टेबल माली बाना धारा 27 की सूचना पर ग्राम उदावाला गए थे। वहां पर अनुसंधान अधिकारी अविनाश कुमार द्वारा स्वतंत्र गवाह लाने के लिए जरिए हुकमनामा निर्देश दिया था जो प्रदर्श पी 27 तथा प्रदर्श पी 28 है। प्रहलाद सहाय के घर से उसके द्वारा पेश करने पर उसकी मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स थानेदार जी ने जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 18 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 19 है। प्रहलाद सहाय के द्वारा अपने घर की अलमारी से निकाल कर पेश करने पर एक मोबाईल टच स्क्रीन वाला जब्त कर सील मोहर किया जिसकी फर्द जब्ती 20 है बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 21 है। एक जुराब मृतका का टीना द्वारा पेश करने पर जब्त कर सील मोहर किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 है, उक्त जुराब दिनांक 17.05.2021 को सरिस्का अलवर में रोड के नीचे एक नाले के यहां से जब्त किया था वहां पर मुल्जिमान सहित वे सब पहुंचे थे। उसी दिनाक को एक मानव खोपडी कपाल जैसी उसी जगह से जहां पर जुराब था जब्त कर सील मोहर किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 23 है। उक्त फर्दो पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

33. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 धन्नालाल ने अभियुक्त प्रहलाद की ओर से जिरह किए जाने पर कथन किया है कि वे दिनांक 16.05.2021 को सुबह 4 बजे के लगभग कोटा से ग्राम उदावाला गए थे। जहां पर उन्होंने एक मोटरसाईकिल जिससे मुल्जिमान मृतका को छोडकर आए थे तथा एक मोबाईल जब्त किए थे। जब्ती की कार्यवाही खत्म करने के बाद हम लोग मनोहरपुर थाने पर आए थे। रात का समय हो जाने के कारण वे मनोहरपुर थाने गए थे तथा रात को वहीं पर रुके थे। मनोहरपुर थाना उदावाला से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उन्होंने पूरे दिन में एक मोटरसाईकिल तथा एक मोबाईल ही जब्त किया तथा उसके बाद उन्होंने मनोहरपुर थाने में जाकर आराम किया। दिनांक 17.05.2021 को वे शाम 4 बजे के लगभग सरिस्का पहुंचे जहा पर से उन्होंने लडकी का जुराब तथा खोपड़ी जब्त की थी। मुलजिम टीना व प्रहलाद के कहने पर माना कि जब्तशुदा जुराब व खोपड़ी मृतका की है। वहां पर मलजिमान ने उन्हें बताया था कि वे मृतका को इसी स्थान पर छोड़ कर गए थे। उसे स्वतंत्र गवाह ढूंढने के लिए अनुसंधान अधिकारी अविनाश ने कहा था, जहां उसने ढूंढा तो वहां पर उसे कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला क्योंकि वह एक जंगली इलाका है, जिसके लगभग 200 मीटर इलाके में उसने ढूंढा था किन्तु कोई नहीं मिला था। अनुसंधान अधिकारी ने उसे स्वतंत्र गवाह लाने के लिए हुक्मनामा दिया था। स्वतंत्र गवाह मिले किन्तु कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे दो हुक्मनामे दिए गए थे। दूसरा हुक्मनामा उसे कब और कितने बजे और किसलिए दिया गया था उसे याद नहीं है।

34. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-12 धन्नालाल ने अभियुक्ता टीना की ओर से जिरह किए जाने पर कथन किया है कि यह सही है कि उनकी रवानगी रपट थाना बूढादीत से हुई थी जो कि शामिल पत्रावली नहीं है। यह सही है कि अनुसंधान अधिकारी ने प्रहलाद सहाय जिस घर में रहता था वहां पर उसे लिखित नोटिस स्वतंत्र गवाह लाने के लिए एसआई साहब अविनाश कुमार ने दिया था, वह प्रदर्श पी 27 है जिस पर ही उसने अपना जवाब दिया था। यह सही है कि हुक्मनामा प्रदर्श पी 27 उसे जयपुर उदावाला पहुंचने के बाद ही दिया था। वे दिनांक 17.05.2021 को सरिस्का के जंगलों में गए थे। वे दिनांक 16.05.2021 को मनोहरपुर थाने में रूके थे। यह सही है कि मुल्जिमान भी उनके साथ थे। यह सही है कि उन्होंने मुल्जिमानों को थाना मनोहरपुर के थानाधिकारी को सुपुर्द किया था। यह सही है कि उन्होंने मुल्जिमानों को दूसरे दिन थाना मनोहरपुर के

थानाधिकारी से लिया था। मुल्जिमान को मनोहरपुर थाने में जमा कराने और वहां से वापस लेने का रिकॉर्ड मनोहरपुर थाने में होगा किंतु उसे याद नहीं है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि कोई मुल्जिम किसी थाने से दूसरे थाने में लिया जाता है तो उसकी रपट रोजनामचे में डलती है या नहीं।

35. इस प्रकार जाब्ता के तीनों ही सदस्यगण सतपाल, मालीबाना व धन्नालाल द्वारा अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए अनुसंधान का पूर्ण समर्थन किया है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई जब्तियों को भी पुष्ट किया है। यद्यपि हस्तगत प्रकरण में उक्त गवाहन की साक्ष्य में दिनांक 16.05.2020 को उदावाला अभियुक्त प्रहलाद के मकान में कार्यवाही सम्पादित करने के बाद भर्तहरि के जंगलों में जाने से पूर्व वे रात्रि में किस स्थान पर रूके थे और उनके साथ जो अभियुक्तगण टीना व प्रहलाद साथ में थे, उनकों उनके द्वारा कहां रखवाया गया था, इस बाबत अत्यंत तुच्छ प्रकृति के विरोधाभास अवश्य है किन्तु हस्तगत प्रकरण की घटना वर्ष 2020 की है और उक्त गवाहन के बयान वर्ष 2024 में लगभग 4 वर्ष पश्चात दर्ज हुए हैं, ऐसी स्थिति में गवाहन के बयानों में मामूली सा विरोधाभास आना स्वभाविक है तथा इससे जब्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही पर प्रश्नचिह्न नहीं लगता है। गवाह पी.डब्ल्यू.8 राम सिंह मीणा ने भी मुलजिम प्रहलाद सहाय को उसके समक्ष थाने से ही जरिये फर्द प्रदर्श पी-15 गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है।

36. हस्तगत प्रकरण में यदि घटना के सम्बंध में गवाहन के बयानों का सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं तो गवाह पी.डब्ल्यू.3 नरेन्द्र सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.12.2020 की सुबह लगभग 9 बजे दो व्यक्ति एक औरत व एक पुरूष नंदनी नाम की लड़की को लेकर उनके हॉस्पीटल में दिखाने आये थे उन्होंने बताया था कि उनकी बच्ची नंदनी के गिरने के कारण गर्दन पर चोट लग गई है। उसके द्वारा उस लड़की का परीक्षण किया गया तो पता लगा कि लड़की की स्थिति अच्छी नहीं थी वह सेमीकॉंसियस स्थिति में थी। स्थिति को देखते हुए उसने उन लोगों को जयपुर जे.के.लोन हॉस्पीटल के लिए रैफर कर दिया था। इसके बाद वे दोनों उस लड़की नंदनी को लेकर हॉस्पीटल से चले गये। उक्त गवाह का जिरह में कथन रहा है कि यह सही है कि वह जो दो व्यक्ति जिनमें से एक औरत एवं एक आदमी, नंदनी को लेकर आए थे उनके नाम एवं पता वह नहीं जानता है। उनके हॉस्पीटल में जो इन्द्राज था उसके आधार पर एवं इन दो व्यक्तियों द्वारा जो नाम हॉस्पीटल में लिखाया उसके आधार पर वह उसका

नाम नंदनी जानता हूँ। उसके द्वारा क्लिनिकल अनुभव के आधार पर नंदिनी का परीक्षण किया गया। उसके द्वारा कोई जांच या बलड टेस्ट नहीं किया, केवल एक्सरे के लिए राय दी थी। उक्त गवाह के बयानों से जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 की ही पुष्टि होती है।

37. प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.7 शेर मोहम्मद ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 18.05.2021 को थाना बूढादीत में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी अविनाश कुमार ने उसे एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स आर जे 52 एसडी 8077 व बी, सी, डी, ई तथा एफ सील्डशुदा माल सभंलाए थे जिन्हें उसने मालखाने में जमा करा था। दिनांक 09.06.2021 को सील्डशुदा माल बी, सी, डी, ई, एफ, एबी, एबी, एफ शील्डशुदा एफएसएल जयपुर जमा कराने हेतु जितेन्द्र कांस्टेबल को सुपुर्द किए थे। दिनांक 14.06.2021 को जितेन्द्र कांस्टेबल ने एफएसएल जयपुर में माल जमा करा कर रसीद उसे सौंपी थी। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी माल जमा का इंद्राज है तथा सी से डी एफएसएल के लिए माल रवानगी का इंद्राज है। जमा तलाशी के माल का इंद्राज ई से एफ है। एफएसएल से रसीद वापसी का इंद्राज जी से एच है तथा आई से जे दो जगह उसके हस्ताक्षर है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श पी 14 ए है।

38. जिरह अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद में गवाह ने कथन किया है कि उसे एक मोटरसाइकिल एच.एफ.डीलक्स मार्क ए व मार्क बी, सी, डी, ई, व एफ. दिनांक 18.05.2021 को थानाधिकारी अविनाश कुमार ने लाकर दिए थे जिनका उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया गया थां उपरोक्त आर्टीकल्स में से केवल मोटरसाइकल अनसील्ड थी, बाकि सब आर्टीकल सील्ड थे। सील्डशुदा आर्टीकल पर एफ.आई.आर. नम्बर 100/2021 अंकित था। उपरोक्त आर्टिकल के अलावा 21.05.2021 को महिला कांस्टेबल मालीबाना ने लाकर जामा तलाशी का माल लाकर सुपुर्द किया था जिनका उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया गया था। जामा तलाशी उसके द्वारा नहीं की गयी थी। आर्टीकल ए, बी, सी, डी, ई व एफ. को उसने दिनांक 18.05.2021 को जमा मालखाना इन्द्राज किया था। दिनांक 19.06.2021 को उसके द्वारा माल को जयपुर एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु जितेन्द्र कांस्टेबल को दिए थे।

39. जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्ता टीना उर्फ पुष्पा में उक्त गवाह का कथन है कि मार्क एफ सील्डशुदा पैकेट खोपडी भी उसने 18.05.2021 को जमा

की थी। खोपडी एसएचओ साहब ने जमा करवाई थी। यह कहना सही है कि जो भी माल जमा करवाता है उसका हस्ताक्षर मालखाना रजिस्टर पर होता है। प्रदर्श पी 14 ए में एसएचओ साहब के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 14 ए पर उसके हस्ताक्षर है। उसने एक जोडी पायजेब, अंगूठी चांदी की, एक सोने की नाक की नथ जमा की थी जो उसे महिला कांस्टेबल माली बाना ने जमा करवाई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 ए पर माली बाना महिला कांस्टेबल के हस्ताक्षर नहीं है तथा वे आर्टिकल भी आज हाजिर अदालत नहीं है। एसएचओ साहब ने सेम्पल जमा करवाए थे। मालखाना रजिस्टर में भी एसएचओ साहब के हस्ताक्षर नहीं है। जितेन्द्र को जो उसने आर्टिकल दिए थे उसका नोट मालखाना रजिस्टर में है जिस पर जितेन्द्र के पैकेट प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि जमा मालखाना रजिस्टर पर रसीद जमा के हस्ताक्षर उसके द्वारा नहीं लिए गए थे। इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रकरण में जब्तशुदा माल के स्वयं के आधिपत्य में सील्ड अवस्था में रहने की पुष्टि की है।

40. गवाह पी.डब्ल्यू.11 जितेन्द्र सिंह ने सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 09.06.2021 को थाना बूढादीत पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मालखाना इंचार्ज द्वारा एफएसएल जयपुर में माल जमा करने हेतु एक सीलशुदा पैकेट व चार सीलशुदा लिफाफे मय पत्र दिये थे, जिनको लेकर वह एसपी कोटा ग्रामीण पहुंचा, वहां पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाया जिसे लेकर दिनांक 10.06.2021 को एफएसएल जयपुर पहुंचा वहां माल जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जहां से वापस आकर उक्त रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की थी जिसे उन्होंने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया। माल थाने से एफएसएल में जमा कराने तक उसके पास सुरक्षित था। थानाधिकारी का पत्र प्रदर्श पी-24, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-25 व एफएसएल में माल जमा करने की रसीद प्रदर्श पी-26 है। जिरह में कथन किया है कि उसने माल लेने से पूर्व व रसीद जमा कराने के बाद आमद रवानगी दर्ज की थी। उसने एफएसएल में एक पैकेट तथा चार लिफाफे जो सब सील मोहर थे व जमा किए थे। इन सब के अंदर क्या था उसे पता नहीं था। इस प्रकार उक्त गवाह ने स्वयं द्वारा माल को मालखाने से प्राप्त किया जाना और एफ.एस.एल. में जमा करवाए जाने तक स्वयं के पास सुरक्षित रहने बाबत साक्ष्य दी है।

41. प्रकरण में गवाह पी.डबल्यू-4 डॉ. निर्मला कुमारी ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 19.05.2021 को सीएससी बूढादीत में चिकित्सा अधिकारी

के पद पर कार्यरत थी। उस दिन थानाधिकारी बूढादीत टीना यादव का डीएनए प्रोफाइल मिलान हेतु सेम्पल लिवाने के लिए उसके पास आये थे, जिसका उसके द्वारा सेम्पल लेकर उसका आईडेन्टिफिकेशन फार्म तैयार कर सेम्पल को सील पैक कर डीएनए परीक्षण हेतु भेजने के लिए थानाधिकारी को सुपुर्द कर दिया था। थानाधिकारी का पत्र प्रदर्श पी-4, टीना का आईडेन्टिफिकेशन फार्म प्रदर्श पी-5, एफएसएल फार्म प्रदर्श पी-6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह का अभियक्त् प्रहलाद की ओर से की गई जिरह में कथन रहा है कि यह कहना सही है कि उसने जो डीएनए सेम्पल लिए थे वो केवल टीना के थे न कि प्रहलाद सहाय के। वह मुल्जिम प्रहलाद सहाय को नहीं जानती है और न ही उसने प्रहलाद सहाय के डीएनए सेम्पल लिए और न ही उन्हें एफएसएल के लिए भेजा।

42. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू.-4 डॉ0 निर्मला का अधिवक्ता अभियुक्त टीना द्वारा की गई जिरह में कथन रहा है कि जब उसने टीना का डीएनए सेम्पल लिया उस समय उसके साथ महिला कांस्टेबल मालीबाना थी तथा और भी पुलिस वाले थे जिनका नाम उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 5 भी उसके द्वारा ही तैयार किया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 5 पर कोई एन्डोर्समेंट नम्बर नहीं है तथा यह बात भी सही है कि प्रदर्श पी 5 पर उसके हस्ताक्षर के नीचे कोई दिनांक नहीं है। उसने प्रदर्श पी 5 दिनांक 19.05.2021 को बनाया था। प्रदर्श पी 5 पर किसी और डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि उस सीएचसी में वह अकेली डॉक्टर है।

43. गवाह पी.डब्ल्यू.5 डॉ. भुवनेश्वर मीणा ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.05.2021 को वह सीएचसी बूढादीत में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी बूढादीत व दो कांस्टेबल सतपाल और उदल सिंह, सुमित यादव को डीएनए एक्जामिनेशन के लिए लेकर आये थे। सतपाल और उदलसिंह के समक्ष डीएनए एक्जामिनेशन के लिए सुमित यादव का सेम्पल लेकर दो एनवेलप ए और बी तैयार किए गए थे। एनवलप ए में एफटीए कार्ड डीएन एक्जामिनेशन हेतु व एनवलप बी हेयर स्केल्प डीएन एक्जामिनेशन हेतु सेम्पल लेकर उसको सील मोहर कर दिया था तथा सेम्पल थानाधिकारी को सुपुर्द कर दिया था। सुमित यादव का पहचान फार्म प्रदर्श पी-7 तथा एफएसएल फार्म प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह का अधिवक्ता अभियुक्त् प्रहलाद की ओर से की गई जिरह में कथन रहा है कि यह कहना सही है कि वह सुमित यादव को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। यह उसे याद नहीं है कि उस दिन

सुमित यादव का कोई पहचान पत्र साथ लाए थे। यह कहना सही है कि पुलिस कथित रूप से सुमित यादव को लाई थी उसने उसका ही सैम्पल लिया था। अधिवक्ता अभियुक्त टीना द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसने टीना का किसी प्रकार का कोई सेम्पल नहीं लिया और ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की।

44. उक्त् गवाहन पी.डब्ल्यू.-4 डा0 निर्मला व पी.डब्ल्यू.-5 डॉ0 भुवनेश्वर द्वारा अभियुक्तगण का डी.एन.ए. सेम्पल लिए जाने की पुष्टि की है तथा पत्रावली में डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श पी-46 इस आशय की प्राप्त हुई है कि-

DESCRIPTION OF PACKET(S) RECEIVED

The packets 5 in number, marked (F,A,B,A,B) SEALED was received properly sealed and bearing seal impression, which tallied with the specimen seal impressions forwarded.

S.No.	Packet	Exhibit No.	Exhibit Name
1.	F	1	Skull of deceased Nandini
2.	A	2	Blood Sample of accused Teena urfa Pushpa on FTA card
3.	A	3	Blood Sample of victim Summet on FTA card
4.	B	-	Scalp hairs of accused Teena urfa Pushpa
5.	B	-	Scalp hairs of victim Summent

For paternity test DNA was isolated from exhibit no. 1 to 3. Microsatellite loci of Powerplex-Fusion 6C system kit was used for DNA profiling of the samples. Data was analyzed by GeneMapper ID-X software version 1.6.

RESULT OF EXAMINATION

1. Female DNA profile was obtained from exhibit no. 1 (Skull of deceased Nandini).

2. Female DNA profile was obtained from exhibit no. 2 (Blood sample of accused Teena urf Pushpa on FTA card).

3. Male DNA profile was obtained from exhibit no. 3 (Blood sample of victim Sumeet on FTA card).

4. The half set of alleles of female DNA profile obtained from exhibit no. 1 (Skull of deceased Nandini) are accounted in the female DNA profile obtained from exhibit no. 2 (Blood sample of accused Teena urf Pushpa on FTA card) and remaining half set of alleles are accounted in the male DNA profile obtained from exhibit no. 3 (Blood sample of victim Sumeet on FTA card).

CONCLUSION

On the basis of DNA examination performed on the exhibits provided, it is concluded that, the source of female DNA profile obtained from exhibit no. 1 (Skull of deceased Nandini) is biological daughter of the source of female DNA profile obtained from exhibit no. 2 (Blood sample of accused Teena urf Pushpa on FTA card) and source of male DNA profile obtained from exhibit no. 3 (Blood sample of victim Sumeet on FTA card).

45. उक्त डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श 46 जो कि न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है। उक्त डी.एन.ए. जांच रिपोर्ट का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

46. न्यायिक दृष्टान्त Salim Ahmed vs The State Of Maharashtra on 24 July, 2018 CRIMINAL APPEAL NO.463/2017 में माननीय HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY NAGPUR BENCH AT NAGPUR द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि -DNA report deserves to be accepted unless it is absolutely dented and for non- acceptance of the same, it is to be established that there had been no quality control or quality assurance. If the sampling is proper and if there is no evidence as to tampering of samples, the DNA test report is to be accepted."

47. डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई गंभीर त्रुटि न हो। यदि इसे अस्वीकार किया जाता है, तो यह साबित करना होगा कि गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन का पालन नहीं किया गया था।

यदि नमूनाकरण उचित है और नमूनों के साथ छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है, तो डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी डीएनए रिपोर्ट में कोई त्रुटि होना नहीं पाया गया है। उक्त डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श पी-46 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो खोपड़ी भर्तहरी के जंगलों से बरामद हुई थी, वह अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा तथा परिवादी सुमित की पुत्री नंदनी की ही थी तथा मृतक नन्दनी की उक्त खोपड़ी जरिए फर्द प्रदर्श पी-23 अभियुक्तगण प्रहलाद व टीना द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-36 व प्रदर्श पी-38 के आधार पर भर्तहरी के जंगलों से अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान की निशादेही से गवाहन की उपस्थिति में बरामद की गई है, जिसकी पुष्टि फर्द जब्ती के गवाहन की साक्ष्य से भी होती है। यद्यपि यह सही है कि उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है किन्तु इस बाबत अर्थात बरामदगी की कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र गवाहन की तलबी हेतु हुकुमनामा प्रदर्श पी-28 अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर जाब्ता के सदस्य धन्नालाल के नाम जारी किया गया है, जिसमें यह रिपोर्ट की गई है कि कानूनी पैचदगियों में पड़ने के कारण किसी भी व्यक्ति ने स्वतंत्र गवाह बनने से इंकार कर दिया और अपने नाम व पते भी नहीं बताए। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त बरामदगी की कार्यवाही संदिग्ध है।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के कई फैसलों के अनुसार, केवल स्वतंत्र गवाहों (independent witnesses) की अनुपस्थिति के कारण पुलिस जाब्ता (police personnel) द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता, यदि पुलिस गवाहों के बयान विश्वसनीय, भरोसेमंद और सुसंगत (consistent) हों। आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, पुलिसकर्मी भी उतने ही विश्वसनीय गवाह हो सकते हैं जितने कि आम नागरिक, बशर्ते उनकी उपस्थिति और कार्यवाही नैसर्गिक (natural) हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत SHUDHAKAR VS STATE OF M. P. - 2012 5 Supreme 42 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

Courts have consistently held that police officers are not inherently unreliable simply due to their position. The law does not

impose an absolute bar on relying solely on a police witness's testimony. Instead, the focus is on the quality and substance of the evidence, not the quantity of witnesses. As emphasized, police witnesses are not inherently unreliable or to be automatically disbelieved solely because they belong to the police force. Their evidence can be accepted if it is credible, consistent, and unimpeached.

इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, गवाहों की संख्या की तुलना में उनकी विश्वसनीयता (quality) अधिक महत्वपूर्ण है। यदि पुलिस गवाहों की गवाही की सूक्ष्म जांच (scrutiny) के बाद वे सही पाए जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष का मामला वैध रहता है।

49. हस्तगत प्रकरण में परिवादी सुमित यादव ने पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.11.2020 की सुबह वह गांव से कोटा आया हुआ था। गांव में उसके घर पर उसकी मम्मी, उसकी पत्नी टीना और उसकी पुत्री नन्दनी थे। उसकी मम्मी भी नरेगा का काम करने चली गई थी। शाम को जब उसकी मम्मी घर आई तो टीना और उसकी पुत्री नन्दनी घर पर नहीं थी। उसकी पत्नी पहले ससुराल जाने की बोल रही थी नहीं मिलने पर उन्होंने तलाश की। उसने ससुर जी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ससुराल वालो ने मना कर दिया कि वह यहां नहीं आई। उसका काफी तलाश किया तो पता नहीं चला। गांव वालों के कहने पर उसकी मम्मी ने पुलिस थाने पर उसके गुमने की सूचना दी। उक्त गवाह का जिरह में कथन है कि यह उसे पता नहीं है कि उसकी लड़की कहाँ गई। यह भी उसे पता नहीं है कि उसकी लड़की जिन्दा है या नहीं है। यह सही है कि उसने थाने पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। यह सही है कि उसकी पत्नी टीना ने कोई अपराध नहीं किया। यह सही है कि उसकी पत्नी टीना के खिलाफ यह झूठा मुकदमा बनाया है। यह सही है कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये और न ही उसके सामने कोई कार्यवाही की।

50. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती सुगनी बाई ने घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है और अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह किए जाने पर कथन किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिये। पुलिस बयान प्रदर्श पी-1 का हिस्सा सी से डी उसने पुलिस को नहीं दिया। प्रदर्श पी 1 के ई से एफ भाग में

उसके हस्ताक्षर है या नहीं उसे पता नहीं है। यह सही है कि सुमित ने टीना से शादी की थी। टीना बिना बताये अपने पीहर चली गई थी, उसके बाद वह कहां गई उसे कुछ पता नहीं है। प्रदर्श पी 2 गुमशुदगी रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई, उस पर हस्ताक्षर ए से बी के बारे में उसे नहीं पता। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 की पुश्त पर कार्यवाही पुलिस ए से बी अंकित है, जिस पर सी से डी हस्ताक्षर के बारे में उसे कुछ पता नहीं है।

51. इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षीगण जो कि मृतका नंदिनी के क्रमशः पिता व दादी है, अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं और उनका यह भी किंचित मात्र कथन नहीं रहा है कि उनके आधिपत्य से अभियुक्तगण द्वारा मृतका नंदिनी की हत्या करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण किया गया है तथा उक्त गवाह किसी भी कार्यवाही की पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहन के पक्षद्रोही हो जाने तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने से हस्तगत प्रकरण में धारा 364/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

किन्तु जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 अथवा 302/34 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के आरोपों का प्रश्न है तो उक्त गवाहन के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से हस्तगत प्रकरण में आई अन्य कड़ी बार साक्ष्य को नकारे जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आता है। वैसे भी हस्तगत प्रकरण में उक्त परिवादी सुमित व उसकी माता तो केवल अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा जो कि परिवादी सुमित की पत्नी रही है, के गुमशुदा हो जाने बाबत रिपोर्ट किए जाने के साक्षी मात्र है, अन्य घटनाक्रम में तो इनकी कोई सहभागिता ही नहीं है।

52. यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन कार्यवाही विफल नहीं मानी जा सकती यदि अन्य साक्ष्य (परिस्थिति, मेडिकल, दस्तावेजी व मौखिक) से प्रकरण की घटना की पुष्टि होती हो।

इस सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Hemudan Nanbha Gadhvi Vs State of gujarat क्रिमिनल अपील नं.913/16 में दिनांक 28th September, 2018 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि-

"It would indeed be a travesty of justice in the peculiar facts of the present case if the appellant were to be acquitted merely because the prosecutrix turned hostile and failed to identify the appellant in the dock, in view of the other overwhelming evidence available." Thus, it is clear that even if the prosecutrix turns hostile but still the accused can be convicted on the basis of scientific and other circumstantial evidence. Thus, it cannot be said that in case if the prosecutrix turns hostile, then there is no possibility of conviction of the accused at all.

53. मौजूदा मामले की विशेष परिस्थितियों में, अगर अभियोक्ता अर्थात मूल परिवादी के मुकर जाने के कारण अभियुक्तगण को बरी कर दिया जाए, तो यह न्याय का घोर उल्लंघन होगा, जबकि अन्य पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि परिवादी के मुकर जाने पर भी, वैज्ञानिक और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण को दोषी ठहराया जा सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी के मुकर जाने की स्थिति में आरोपीगण को दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना ही नहीं है।

54. हस्तगत प्रक्रम का उदगम परिवादी सुमित व उसकी माता द्वारा अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा की गुमशुदगी के सम्बंध में दर्ज करवाई गई एम.पी.आर. रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 के आधार पर हुआ है और जांच अधिकारी सुरेश द्वारा प्रकरण की अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा के मोबाईल काल डिटेल के आधार पर अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा को उदावाला से दस्तयाब किया गया है। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि एम.पी.आर. रिपोर्ट में अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर अंकित ही नहीं है ऐसी स्थिति में जिन मोबाईल नम्बरों को ट्रेस किया गया है, उनकी काल डिटेल के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण को आलिप्त नहीं किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि जांच अधिकारी सुरेश व अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने बयानों में अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर नहीं बताए हैं। इस सम्बंध में एम.पी.आर. रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त एम.पी.आर. रिपोर्ट में यद्यपि अभियुक्तगण के मोबाईल नम्बर का उल्लेख नहीं है किन्तु प्रकरण में यह स्पष्ट है कि भगवैया अर्थात

अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा की तलाश उसके मोबाईल काल डिटेल के आधार पर ही गई है और इस बाबत थानाधिकारी बूढादीत की ओर से जो पत्र प्रदर्श पी-41 पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को जारी किया गया है उसमें मोबाईल नम्बर 9358382550 की कॉल डिटेल, टावर लोकेशन व आई.डी. उपलब्ध करवाने बाबत जारी किया गया है और प्रदर्श पी-42 मोबाईल नम्बर 6377028901 के सम्बंध में जारी किया गया है। इसका आशय यह हुआ कि एम.पी.आर. की जांच के समय जांच अधिकारी को भगवैया टीना उर्फ पूजा व अन्य के नम्बर 9358382550 तथा 6377028901 के रूप में ज्ञात थे तभी तो उनके सम्बंध में काल डिटेल प्राप्त करने बाबत पत्र जारी किया गया, ऐसी स्थिति में केवल एम.पी.आर. में कोई मोबाईल नम्बर अंकित नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकरण में मोबाईल प्रदाता कम्पनी द्वारा अभियुक्त् प्रहलाद सहाय को एयरटेल कम्पनी का मोबाईल नम्बर 8432641323 जारी किए जाने और उसकी कॉल डिटेल 01.10.2020 से 01.03.2021 तक की सूचना प्रदर्श पी-43 के जरिए दी गई है और इस सम्बंध में प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-44 भी जारी किया गया है। उक्त काल डिटेल में भगवैया का नम्बर स्पष्ट रूप से बार-बार दर्शित हुआ है और इसी के आधार पर भगवैया अर्थात अभियुक्ता टीना उर्फ पूजा का अभियुक्त प्रहलाद के साथ भाग जाना पाया गया था, जिसकी तलाश हेतु जांच अधिकारी सुरेश कुमार उदावाला जाब्ता के सदस्यगण के साथ गया है।

55. प्रकरण में एक बचाव विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह लिया गया है कि डॉ0 नरेन्द्र सिंह द्वारा मृतका नंदिनी को जयपुर रेफर किए जाने बाबत कोई पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। यह सही है कि हस्तगत प्रकरण में मृतका नंदिनी को जयपुर अस्पताल में रेफर किए जाने बाबत कोई पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है किन्तु इस बाबत गवाह पी.डब्ल्यू.-3 ने स्पष्ट रूप से न्यायालय में परीक्षित होकर साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.12.2020 को उसके पास दो व्यक्ति एक पुरूष व एक महिला नंदिनी नामक लड़की को लेकर आए थे, जिसका नाम वह हास्पीटल के रिकार्ड के अनुसार जानता है और उसकी सेमीकॉसिया की स्थिति होने से उसे जयपुर के लिए रेफर किया था। इस सम्बंध में उक्त गवाह अभियुक्तगण की ओर से की गई जिरह में अखंडनीय रहा है, ऐसी स्थिति में रेफर पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं होने मात्र से प्रकरण में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

56. प्रकरण में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में एक भी ऐसा गवाह नहीं है जिसने मुलजिमान द्वारा मृतका नंदिनी को मारते हुए देखा है, केवल टीना के बयान के अतिरिक्त प्रकरण में कुछ नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता टीना का यह भी तर्क रहा है कि गवाह पी.डब्ल्यू.-9 सुरेश जिसके द्वारा टीना के बयान पर जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण दर्ज करवाया गया है, ने अभियुक्ता टीना द्वारा मृतका की हत्या करने से जिरह में स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है, इस कारण प्रकरण में अभियुक्ता टीना को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है और अभियुक्ता टीना का प्रकरण में कोई हाथ नहीं है, उसे तो अभियुक्त प्रहलाद द्वारा उकसाया गया था, जिसका अंकन भी प्रदर्श पी-17 जांच रिपोर्ट में है। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त प्रहलाद का जिरह में यह कथन है कि प्रकरण में किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि अभियुक्त प्रहलाद ने मृतका को मारा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा अभियुक्तगण को बरी किए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा बहस के सन्दर्भ में पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह सही है कि हस्तगत प्रकरण में किसी भी गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका नंदिनी की हत्या करते हुए देखा हो, यह नहीं आया है, गवाह पी.डब्ल्यू.-9 सुरेश जांच अधिकारी ने जिरह में टीना द्वारा हत्या करने से इकार करना स्वीकार है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 में प्रहलाद द्वारा टीना से बच्ची की हत्या करने बाबत कहा जाने का वर्णन है और प्रकरण में ऐसा भी कोई गवाह परीक्षित नहीं हुआ है जिसने अभियुक्त प्रहलाद द्वारा मृतका को मारना बताया है किन्तु हस्तगत प्रकरण घटना होते समय चक्षूदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर पंजीबद्ध ही नहीं हुआ है, यह प्रकरण तो भगवैया अर्थात अभियुक्त टीना उर्फ पूजा की पतारसी के दौरान उसके साथ उसकी पुत्री नंदिनी के नहीं मिलने पर उससे व जिसके साथ वह भागी अर्थात अभियुक्त प्रहलाद से परिवादी की पुत्री नंदिनी के नहीं होने के सम्बंध में पूछताछ किए जाने पर उनके द्वारा की गई संस्वीकृति अर्थात पूछताछ के आधार पर पंजीबद्ध हुआ है। यद्यपि यह सही है कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति अर्थात पूछताछ का साक्ष्य अधिनियम में अधिक महत्व नहीं है किन्तु जांच अधिकारी सुरेश द्वारा अभियुक्ता टीना से प्राप्त संस्वीकृति की नियमानुसार वीडियो रिकार्डिंग गवाहन की उपस्थिति में करवाई गई है, जिसके बाबत प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-16 भी साक्ष्य में

प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस के समक्ष किए गए कथन जो कि वीडियो रिकार्डिंग के माध्यम से किए गए हैं, को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि उक्त कथन के आधार पर अभियुक्तगण से प्राप्त धारा 27 की विभिन्न सूचनाओं यथा (01) प्रदर्श पी-32 अभियुक्त प्रहलाद की घटनास्थल तस्दीक की सूचना जहां उन्होंने नंदिनी को मारा था, (02) प्रदर्श पी-33 अभियुक्त टीना उर्फ पूजा की घटनास्थल तस्दीक की सूचना जहां उन्होंने नंदिनी को मारा था, (03) प्रदर्श पी-34 अभियुक्त प्रहलाद की सूचना मृतका नंदिनी की लाश को जिस मोटरसाइकिल से पटककर आए थे, उसके खड़े होने बाबत, (04) प्रदर्श पी-35 अभियुक्त प्रहलाद की सूचना जिस मोबाईल से वह अभियुक्ता टीना से बात करता था, (05) प्रदर्श पी-36 व पी-38 अभियुक्तगण की मृतका नंदिनी की लाश को जिस स्थान पर पटककर आने की सूचना, (06) प्रदर्श पी-37 अभियुक्ता टीना की सूचना जिस शॉल से उन्होंने मृतका का मारा व लाश को डालने के लिए ले गयी थी व स्वयं के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे मोबाईल बाबत के आधार पर विभिन्न फर्दे स्वयं अभियुक्तगण की निशादेही से गवाहन की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार की गई है, जिसकी पुष्टि स्वयं अनुसंधान अधिकारी व गवाहन द्वारा की गई है, जिसकी विस्तृत विवेचना उपर की जा चुकी है। प्रदर्श पी-17 जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन है कि अभियुक्त प्रहलाद द्वारा अभियुक्ता टीना से बच्ची का इलाज का खर्च वहन करने में सम्भव नहीं होने से उसे मारने की बात कहने पर सर्वप्रथम अभियुक्त टीना द्वारा शॉल से बच्ची का गला दबाने का प्रयास किया गया है और नहीं मरने पर अभियुक्त प्रहलाद द्वारा उसे मारने की बात अपनी संस्वीकृति में कहीं गई है, ऐसी स्थिति में पी.डब्ल्यू.-9 द्वारा अभियुक्त टीना द्वारा हत्या करने से इंकार कर देने बाबत जिरह में स्वीकारोक्ति करने तथा किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्तगण को हत्या नहीं करने देखे जाने से प्रकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभियुक्तगण का आशय स्पष्ट रूप से मृतका नंदिनी के इलाज से बचने के लिए मृतका नंदिनी की हत्या का रहा है और उनके द्वारा मृतका नंदिनी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को साक्ष्य मिटाने के आशय से भर्तहरी के जंगलों में जाकर पटका गया है।

57. यहां यह उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस प्रकार के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना सम्भव नहीं है। अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों को एक दूसरे से निसंदेह जोड़ते हुए प्रकरण को पूर्ण रूप से साबित किया है। मुलजिम टीना उर्फ पुष्पा का मृतका पुत्री नंदनी के साथ घर से बिना बताए जाना,

जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होना, पांच माह बाद मोबाईल लोकेशन व कॉल डिटेल के आधार पर मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा का मुलजिम प्रहलाद के गांव उदावाला में मिलना, जिस पर उसे जांच अधिकारी सुरेश चन्द द्वारा दस्तयाब करना, मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा द्वारा अपने बयानों में अपराध की स्वीकारोक्ति करना कि- "उसने व प्रहलाद ने मृतका नन्दिनी को मारकर सरिस्का के जंगल में भर्तहरी के यहां पटक दिया" फिर दोनों अर्थात टीना उर्फ पुष्पा व प्रहलाद की धारा 27 की इत्तिला पर प्रकरण में प्रयुक्त ली गई मोटरसाइकिल, मोबाईल, शॉल, जुराब व मृतका नंदिनी के शव की खोपड़े की बरामदगी भर्तहरी के जंगलों से होना, बरामदशुदा खोपड़ी का मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा व परिवादी सुमित के डी.एन.ए. से मिलान होने से उसके प्राकृतिक माता-पिता होने आदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से प्रकरण की घटना को समस्त संदेह से परे प्रमाणित करता है। यहां एक तथ्य यह भी है कि मुलजिम प्रहलाद की सूचना पर ही बरामदगी स्थल भर्तहरी के जंगल जहां से मृतका नंदनी की खोपड़ी व जुराब बरामद हुए हैं, पुलिस पहुंची थी। पुलिस के लिए यह सम्भव नहीं था कि पुलिस स्वयं उस स्थान पर पहुंच जाती, जब तक कि ठोस इत्तिला नहीं हो। जंगल से खोपड़ी की बरामदगी व डी.एन.ए.टेस्ट से उक्त खोपड़ी के मृतक नंदिनी के होने की पुष्टि होने से प्रकरण को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

58. जैसा कि न्यायालय द्वारा उपर अवधारित किया गया है कि यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस प्रकार के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना सम्भव नहीं हो सकती है क्योंकि इस प्रकार के अपराधों को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Shaik Chand v. State of Hyderabad, (1952) 2 SCC 491, decided on 17-11-1952 तथा Birdhichand Sharad v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 में Circumstantial evidence के सम्बंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि-

Circumstantial evidence is evidence of circumstances which can be relied upon, to not prove fact directly, but instead point towards its existence. Generally, circumstantial evidence could not be regarded as direct evidence, but circumstantial evidence often has an advantage over direct evidence, as it is more difficult to suppress and fabricate. In Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116, the Supreme Court laid down following five golden principles, which constitutes the panchsheel of proof, for a case based on circumstantial evidence:

(ए) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established;

(बी) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is, the established facts should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty;

(सी) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency;

(डी) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved;

(ई) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

59. हस्तगत मामले में भी न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन की ओर से उक्त कड़ी दर कड़ी को मिलाया गया है और अभियुक्तगण का हत्या का आशय भी स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू.-3 नरेन्द्र सिंह, पी.डब्लयू.-6 श्रीमती माली बाना, पी.डबल्यू.-8 रामसिंह, पी.डब्ल्यू.-9 सुरेश चन्द, पी.डब्ल्यू.-10 सतपाल, पी.डब्ल्यू.-12 धन्नालाल एवं पी.डब्ल्यू.-13 अविनाश कुमार के बयानों से भी होती है। डी.एन.ए. रिपोर्ट के अनुसार भी बरामदशुदा खोपड़ी का मृतका नंदिनी का होना प्रमाणित किया गया है जिसके मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा एवं परिवादी सुमित नैसर्गिक माता-पिता होने की पुष्टि हुई है।

60. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण से यह दृष्टिगत होता है कि गवाह पी.डब्ल्यू-9 सुरेश चंद जो कि प्रकरण की एम.पी.आर. का जांच अधिकारी है और उसके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 सार रूप से इस आशय की पेश की गई कि भगवैया टीना उर्फ पूजा को उदावाला से दस्तयाब किया गया, उसके साथ परिवादी सुमित व भगवैया टीना उर्फ पूजा की पुत्री मृतका नंदिनी के नहीं होने पर पूछताछ के दौरान भगवैया टीना उर्फ पूजा व अभियुक्त प्रहलाद ने उसे मार देना बताया जिस पर उक्त दोनों को ही थाने में साथ लेकर उपस्थित हुआ है। उक्त रिपोर्ट पर अनुसंधान गवाह पी.डब्ल्यू.-13 अविनाश ने किया है और साक्ष्य के दौरान अपने द्वारा किए गए अनुसंधान की पुष्टि की है तथा अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर विभिन्न

बरामदगी की गई है जिसमें मृतका नंदिनी की खोपड़ी भी है, उक्त खोपड़ी का डी.एन.ए. परीक्षण भगवैया टीना उर्फ पूजा व परिवादी सुमित के डी.एन.ए. से करवाया गया है जो डी.एन.ए. रिपोर्ट के अनुसार पुष्ट हुआ है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद जाब्ता के अन्य सदस्यगण पी.डब्ल्यू.-6 श्रीमती माला बाना, पी.डब्ल्यू.-10 सतपाल एवं पी.डब्ल्यू.-12 धन्नालाल ने भी है। गवाह पी.डब्ल्यू.-3 डॉ0 नरेन्द्र ने अभियुक्तगण का उसके पास बच्ची को इलाज हेतु लेकर आना तथा बीमारी गम्भीर होने से जयपुर रेफर किए जाने बाबत स्पष्ट साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू.-11 जितेन्द्र सिंह ने प्रकरण में जब्तशुदा माल में से सैम्पल सील्ड हालत में थाने से प्राप्त कर एफ.एस.एल. में जमा करवाने एवं पी.डब्ल्यू.-7 शेर मोहम्मद ने प्रकरण में जब्तशुदा माल स्वयं के माल खाना ईंचार्ज के पद पर रहते हुए सील्ड हालत में रहने बाबत साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-4 डॉ0 निर्मला ने अभियुक्त टीना उर्फ पूजा का तथा गवाह पी.डब्ल्यू.-5 डॉ0 भुवनेश्वर मीणा ने परिवादी सुमित का पुलिस प्रतिवदेन पर डी.एन.ए. सैम्पल कलेक्शन करना बताया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त सिलसिलेबार साक्ष्य का कोई खंडन उक्त गवाहन की जिरह में नहीं हुआ है। यद्यपि प्रकरण में मृतका नंदिनी का पिता पी.डब्ल्यू.-1 सुमित व दादी पी.डब्ल्यू.-2 सुगनाबाई अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हैं किन्तु उक्त गवाह केवल एम.पी.आर. दर्ज करवाए जाने के साक्षी है और उनकी साक्ष्य के आधार पर उनकी वैध कस्टड़ी से मृतक नंदिनी का अभियुक्तगण द्वारा व्यपहरण किया जाना प्रमाणित नहीं होता है किन्तु अभियुक्तगण द्वारा मृतका नंदिनी की सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या करने और हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के आशय से उसका शव भर्तहरी के जंगलों में फेंक दिए जाने बाबत अभियोजन कहानी में उक्त गवाहन की साक्ष्य का कोई महत्व ही नहीं है।

61. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य मौखिक, मेडिकल व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य बखूबी प्रमाणित होता है कि मुलजिमान ने एकराय होकर सामान्य आशय के अनुसरण में मृतका नन्दिनी की हत्या करने के आशय से उसका गला दबाकर हत्या कारित की एवं हत्या के अपराध की साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसकी लाश को माधोगढ़ की पुलिया से पहले रोड़ के नीचे नालें में फेंक कर हत्या की साक्ष्य को छिपाया, जो कि धारा 302 व 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय है, लिहाजा उक्त धाराओ के तहत मुलजिमान को दोषसिद्ध किया जाना एवं धारा 364/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>-::आदेश::-</u>

62. अतः अभियुक्त (01) प्रहलाद सहाय पुत्र ग्यारसीलाल निवासी उदावाला, थाना मनोहरपुर, जिला-जयपुर (राजस्थान) एवं (02) टीना उर्फ पुष्पा पुत्री शिवलाल पत्नी सुमित निवासी बोरखेड़ा, थाना बूढादीत, जिला-कोटा (राजस्थान) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 व 201 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। किन्तु उक्त अभियुक्तगण को धारा 364/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

(सरिता धाकड़)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम सं.- 2, कोटा (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवाई -</u>

63. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। इस प्रकरण में मुल्जिमान को अन्य धारा के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है। धारा 302 भा0दं0सं0 का यदि अवलोकन किया जावे तो उसमें केवल मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि उक्त अपराध के संबंध में मुल्जिमान के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्ध बाबत कोई रिकार्ड नहीं है। अभियुक्तगण पिछले पांच वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्ता टीना उर्फ पुष्पा महिला है। ऐसे में मुल्जिमान के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उन्हें मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास से दंडित किया जाये। जबकि अभियोजन ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि इस प्रकरण में मुलजिमान के द्वारा मृतका नंदिनी के इलाज से बचने के लिए मृतका नंदिनी की साशय हत्या की गई है और अपने कृत्य को छिपाने के लिए उसकी लाश को भी दूर स्थान जंगल में फेंक दिया गया है। उक्त कृत्य यह दर्शाता है कि मुलजिमान के मन में कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है। मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा का यह कृत्य मातृत्व को शर्मशार करने वाला भी है। अतः मुल्जिमान के प्रति किसी भी प्रकार से नरमी का रूख नहीं अपनाते हुये उनको कठोरतम सजा से दण्डित किया जाये।

64. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता अभियुक्तगण एवं अभियोजन की ओर से रखे गये तर्कों पर मनन किया गया। साथ ही इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2

एस.सी.सी. 684 तथा मच्छीसिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1983 (3) एस.सी.सी. 470 में दिये गये दिशा निर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

65. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह अवधारित किया है कि मृत्युदंड केवल अपराध के गंभीरतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए जिसमें अपराध की परिस्थिति के साथ-साथ अपराधी की परिस्थिति पर भी गौर किया जाना चाहिए। मृत्यु दंड की सजा केवल तभी दी जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय की अन्तरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती हो कि मुलजिम को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास से दंडित किया जाये। साथ ही सजा देते समय अपराध को बढावा देने वाली तथा कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

66. इसी प्रकार यदि सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त मच्छीसिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य का ससम्मान अवलोकन किया जाये तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के अपराध के मामले में सजा देते समय यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या मुलजिम द्वारा कारित किया गया अपराध विरले में विरलतम (Rarest of Rare) की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। इसके लिए हत्या को अन्जाम देने का तरीका, हत्या का आशय अथवा मकसद, हत्या से समाज में द्वेष फैलने की संभावना, अपराध का आयाम, जैसे कि मल्टीपल मर्डर, हत्या के शिकार व्यक्ति की स्थिति जैसे कि वह अबोध बालक, असहाय अथवा कमजोर व्यक्ति हो आदि पर विचार किया जाना चाहिए और इसी के साथ ही अपराध को बढावा देने वाली एवं कम करने वाली परिस्थितियों भी दृष्टिगत रखते हुए सजा दी जानी चाहिए।

67. उपरोक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में यदि हस्तगत प्रकरण में देखा जाये तो यह सही है कि मुल्जिमान ने साशय एक अबोध बालिका की इलाज से बचने के लिए हत्या की है किन्तु मुलजिमान के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस प्रकार मुलजिमान गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं रहे है, जो कि यह दर्शाता है कि उनके द्वारा किसी आवेश में आकर घटना कारित की गई है और वह भी इस प्रकार के नृशंस तरीके से नहीं की गई है जो कि प्रकरण को विरले से विरलतम (Rarest of Rare) की श्रेणी में ला दे। यह भी महत्वपूर्ण है कि मुल्जिमान पेशेवर हत्यारे भी नहीं है और उनके सम्बन्ध में ऐसा भी कोई तथ्य जाहिर नहीं किया

गया है कि उनके भविष्य में सुधरने की कोई संभावना ही नहीं हो। अतः उक्त समस्त तथ्य-परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण में मुल्जिमान का अपराध विरले से विरलतम (Rarest of Rare) की श्रेणी में नहीं आता हैं। किन्तु हस्तगत प्रकरण की घटना में मुलजिमा टीना उर्फ पुष्पा ने मातृत्व को शर्मशार किया है। एक मां द्वारा ही अपनी पांच वर्षीय बच्ची को मारकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर जंगल में फैंक दिया गया है, न्यायालय के विनम्र मत में जब बच्चे अपनी मां के पास ही सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेंगे, यह बहुत ही शोचनीय विषय है। इस तरह की औरतें मां के नाम कलंक व धब्बा है जो न तो मां कहने के लायक है और न ही इन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। लिहाजा मुल्जिमान को धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अपराध में मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही अन्य प्रमाणित अपराधों के संबंध में भी निम्नानुसार दण्ड से दंड़ित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

68. अतः अभियुक्तगण (01) प्रहलाद सहाय पुत्र ग्यारसीलाल निवासी उदावाला, थाना मनोहरपुर, जिला-जयपुर (राजस्थान) एवं (02) टीना उर्फ पुष्पा पुत्री शिवलाल पत्नी सुमित निवासी बोरखेड़ा, थाना बूढादीत, जिला-कोटा (राजस्थान) प्रत्येक को निम्न प्रकार दण्ड से दण्डित किया जाता है:-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	सजा	जुर्माना	अदम अदायगी
01	धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता	आजीवन कारावास	25,000/-रूपये	6 माह साधारण कारावास
02	धारा 201/34 भारतीय दण्ड संहिता	07 वर्ष का साधारण कारावास	5000/- रूपये	01 माह साधारण कारावास

69. मुल्जिमान की उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। मुल्जिमान का सजा वारंट बनाया जावे। पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मुल्जिमान की मूल सजा में मुजरा किया जावे।

70. उक्त दोनों ही अभियुक्तगण को धारा 364/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जा चुका है।

71. इस प्रकरण में मृतका नंदिनी के पिता सुमित व दादी के अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण धारा 357क(3) दप्रस के तहत पीड़ित को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत उचित राशि दिलावाये जाने के लिये प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा को प्रेषित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

72. प्रकरण में जब्तशुदा आर्टीकल-1 लगायत 5 तथा 8 लगायत 10 बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट कर दिये जावे। आर्टीकल-6 व 7 तथा जब्तशुदा मोटरसाइकिल के सम्बंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया है, लिहाजा उक्त माल को राजसात किया जाता है, जिनको बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार जरिए नीलामी/विक्रय निस्तारित किया जावे। निर्णय की एक-एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावें।

(सरिता धाकड़)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम सं.- 2, कोटा (राज0)

73. निर्णय आज दिनांक 19.06.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता धाकड़)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम सं.- 2, कोटा (राज0)

DINESH CHAND GUPTA
Steno grade First
Digitally signed by DINESH CHAND GUPTA
Location: adj 2 kota
Date: 2026.06.19 13:34:09 +0530

Authenticated Document